राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

श्री भैरों सिंह शेखावत
मुख्य मंत्री, राजस्थान

का
भाषण

जो उन्होनें
राजस्थान विधान सभा में वर्ष 1995-96 के बजट अनुमान
प्रस्तुत करते समय दिया।

जयपुर, 27 मार्च 1995

सत्यमेव जयते

श्रीमन् !

१. आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमान एवम् 1995-96 के आय व्ययक अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

3/27

अर्थ व्यवस्था और राज्य

२. बचत, विनियोग और उपभोग के सम्बन्ध में सही निर्णय लेने के लिए बजट एक दिशा संकेतक का कार्य करता है। जिस राज्य के सकल घरेलु उत्पाद का लगभग एक तिहाई हिस्सा राजस्व एवम् पूँजीगत मदों पर व्यय किया जाता हो, वहां बजट को राज्य के वार्षिक नीतिगत आर्थिक प्रबन्धन का घोषणा पत्र ही माना जाना चाहिये।

वर्ष 1994-95: एक सिंहावलोकन

३. यह वर्ष हमारे लिए उत्साहवर्धक परन्तु चुनौती भरा रहा है। इस वर्ष में हमें अकाल व अतिवृष्टि दोनों से जूझना पड़ा। मलेरिया तथा प्लेग जैसी बीमारियों का भी हमें सामना करना पड़ा।

४. स्थानीय निकायों व पंचायतों के चुनाव कार्य को विधिपूर्वक एवं कुशलता से सम्पन्न कराने हेतु 'राज्य चुनाव आयोग' की स्थापना की गई। पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं के चुनाव से लोक तांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई है ।

५. विकास के मार्ग में कई बाधायें आईं। हमने उन्हें त्वरित कार्यवाही करके दूर

किया। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि सरकार ने विकास का दीर्घ कालीन परिप्रेक्ष्य लेकर नई औद्योगिक, खनिज तथा सड़क विकास की नीतियां इस वर्ष जारी की। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इनको देख कर भविष्य के लिये अपने सुझाव दें ।

दसवां वित्त आयोग

६. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, पिछले वर्ष राज्य सरकार ने दसवें वित्त आयोग के साथ राज्य के विकास एवं वित्तीय स्थिति के कई पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया था। आयोग की सिफारिशें एवं उनका क्रियान्विति प्रतिवेदन केन्द्र सरकार ने इसी बजट सत्र में संसद में प्रस्तुत किया है। अनुदान से सम्बन्धित कुछ सिफारिशें वर्ष 1996-97 से लागू होंगी। वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1996-97 से 1999-2000 की चार वर्ष की अवधि एवं उससे आगे की अवधि के लिए संविधान में संशोधन कर केन्द्र सरकार की समस्त कर एवं शुल्कों से प्राप्तियों को डिविज़िबल पूल में शामिल कर राज्यों के हिस्से को 29 प्रतिशत तक सीमित करने की वैकल्पिक व्यवस्था सम्बन्धी सिफारिश को भारत सरकार ने परीक्षण हेतु अपने विचाराधीन रखा है। हमारा अनुरोध है कि भारत सरकार इस पर शीघ्र ही निर्णय ले।

७. दसवें वित्त आयोग के समक्ष, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपना पक्ष एवम् दृष्टिकोण तथा विपक्ष के माननीय नेता एवम् अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा आयोग से भेंट के दौरान प्रस्तुत विचारों और राज्य की समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए, इस आयोग ने पहली बार आयकर एवम् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के डिविज़िबल पूल में राज्यों के पारस्परिक हिस्सों के निर्धारण हेतु अपनाये गये मापदण्डों में, राज्यों के आधारभूत ढांचागत पिछड़ेपन एवं भौगोलिक क्षेत्रफल को भी शामिल किया है। दसवें वित्त आयोग ने राज्य आपदा राहत कोष की वर्तमान व्यवस्था को बनाये रखने तथा अति गम्भीर

आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर उससे निपटने हेतु राष्ट्रीय आपदा राहतकोष बनाये जाने के हमारे सुझाव को भी स्वीकार किया है।

८. दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत केन्द्रीय आयकर के डिविज़िबल पूल में राज्य के हिस्से को नौवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 4.836 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.551 प्रतिशत कर दिया है। इसी प्रकार इस आयोग ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के डिविज़िबल पूल में नौवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 45 प्रतिशत पूल में राज्य के 5.524 प्रतिशत हिस्से के स्थान पर अब 40 प्रतिशत डिविज़िबल पूल में 5.551 प्रतिशत निर्धारित किया है। शेष 7.5 प्रतिशत डिविज़िबल पूल की राशि में राज्य को केवल प्रथम वर्ष 1995-96 में ही 0.835 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में राज्य का हिस्सा 4.689 प्रतिशत की तुलना में 4.873 प्रतिशत हो गया है। रेल यात्री किराये पर कर के एवज में मिलने वाले अनुदान की राशि 34 करोड़ 35 लाख रुपये से बढ़कर 84 करोड़ 45 लाख रुपये हो गई है। नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य सरकार को आपदा राहत कोष में 5 वर्षों के लिए 465 करोड़ रुपये का अनुदान मिला था, जबकि दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब राज्य को 706 करोड़ 89 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।

९. राज्य के मरूस्थलीय क्षेत्र में पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए 70 करोड़ रूपये तथा प्रशासन के स्तर के उन्नतिकरण के लिए 79 करोड़ 87 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 1996-97 से चार वर्ष की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं स्वायतशासी संस्थाओं में विकास कार्यों हेतु 255 करोड़ 40 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।

१०. दसवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों एवं शुल्क में राज्य के हिस्से के अन्तरण के पश्चात् राज्य की वित्तीय स्थिति को राजस्व व्यय एवं आय के अन्तर को पाटने के लिए सुदृढ़ माना है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 1995-96 में आयोजना-भिन्न घाटे को मात्र 33 करोड़ 45 लाख रुपये आँक कर इसकी पूर्ति के लिए इतनी ही राशि की आयोजना-भिन्न राजस्व घाटे के अनुदान की सिफारिश की है। दसवें वित्त आयोग की यह मान्यता रही है कि केन्द्रीय करों एवं शुल्क की डिविजिबल पूल की राशि में राज्य का जो हिस्सा निर्धारित किया गया है - उसके तहत होने वाले अन्तरण से वर्ष 1996-97 से 1999-2000 की 4 वर्ष की अवधि में आयोजना-भिन्न राजस्व खाते में आधिक्य रहेगा। अत: आयोजना भिन्न राजस्व घाटे के लिए अनुदान की आवश्यकता नहीं रहेगी।

११. दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार को केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में हिस्से के रुप में नौवें वित्त आयोग के तहत 5 वर्षों की अवधि के लिए आकलित 4613 करोड़ 83 लाख रुपये की राशि की तुलना में अगले 5 वर्षों में 10255 करोड़ 26 लाख रुपये मिलेंगे, जो 122 प्रतिशत अधिक है। परन्तु नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत 5 वर्षों की अवधि में 1911 करोड़ 79 लाख रुपये की मिलने वाली अनुदान की राशि की तुलना में दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान की राशि 1145 करोड़ 61 लाख रुपये ही होगी जो 766 करोड़ 18 लाख रुपये कम है। अनुदान की राशि में कमी का मूल कारण आयोग द्वारा राजस्व आयोजना व्यय की पूर्ति हेतु अनुदान की सिफारिश नहीं करने से हुई है। नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राजस्थान को 1990-95 की अवधि के लिए 960 करोड़ 40 लाख रूपये का अनुदान मिला था। दसवें वित्त आयोग ने यह मत व्यक्त किया है कि राजस्व आयोजना व्यय की पूर्ति हेतु अनुदान की व्यवस्था करना उनको भारत सरकार द्वारा दिये गये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के दायरे के बाहर है। परिणामस्वरूप राजस्थान सहित अन्य किसी भी राज्य को राजस्व आयोजना व्यय की पूर्ति हेतु अब अनुदान उपलब्ध नही होगा । संक्षेप में

केन्द्रीय करों / शुल्कों में हिस्से एवं अनुदान को मिलाकर राज्य सरकार को नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत आकलित राशि 6525 करोड़ 62 लाख रुपये की तुलना में दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत 11400 करोड़ 87 लाख रुपये आकलित की गई है, जो नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत आकलित राशि से 4875 करोड़ 25 लाख रूपये अधिक है।

१२. यद्यपि दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य को केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में हिस्से के रूप में मिलने वाली राशियों में समुचित वृद्धि हुई है तथा वर्ष 1971 की जनसंख्या के अनुसार, जिसको वित्त आयोग द्वारा आधार मानना निर्देशित था, राजस्थान को देश के 14 प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक यथा लगभग 4425 रूपये प्रति व्यक्ति का अन्तरण होगा, परन्तु राज्य सरकार आयोग की सिफारिशों से पूर्णत: सन्तुष्ट नहीं है। राज्यों के राजस्व संसाधनों एवम् व्यय की आवश्यकताओं के आकलन में नौवें वित्त आयोग द्वारा प्रथम बार अपनाई गई 'नोरमेटिव अप्रोच' को दसवें वित्त आयोग ने नहीं अपनाया है। नोरमेटिव अप्रोच के अपनाने से, राज्यों द्वारा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने की प्रवृति को जो प्रोत्साहन मिला था उसके अब कम होने की सम्भावना हो जायेगी तथा राज्यों में आयोजना भिन्न राजस्व व्यय बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी ताकि राज्य अगले वित्त आयोग से आयोजना भिन्न राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार नौवें वित्त आयोग द्वारा राजस्व आयोजना व्यय की आवश्यकता का आकलन कर जो राजस्व आयोजना व्यय खाते में कमी की पूर्ति हेतु अनुदान दिये जाने की प्रणाली प्रारम्भ की थी वह दसवें वित्त आयोग ने समाप्त कर दी है। इसके फलस्वरूप राजस्थान जैसे विकासशील राज्यों को आयोजना व्यय को निर्धारित स्तर पर बनाये रखने एवम् उसमें समुचित वृद्धि करने हेतु अपने स्वयम् के अतिरिक्त संसाधन जुटाना और भी अधिक आवश्यक हो गया है।

१३. मैं सदन को सजग करना चाहूँगा कि यदि केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही आर्थिक

नीतियों के कारण केन्द्रीय करों एवं शुल्कों से प्राप्त राजस्व में अपेक्षित अभिवृद्धि नहीं होती है तो समस्त राज्यों को केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में हिस्से के पेटे मिलने वाली राशियां दसवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित राशियों से कम हो सकती हैं जिससे उनका राजस्व घाटा बढ़ सकता है या राजस्व आधिक्य में कमी आ सकती है। परिणामस्वरूप राज्यों को इस कमी की पूर्ति हेतु और अधिक अतिरिक्त संसाधन जुटाना अपरिहार्य हो जायेगा।

नीतिगत परिवेश

१४. जैसा कि मैंने गत वर्ष कहा था, कोई भी राज्य विश्व के आर्थिक एकीकरण की प्रक्रियाओं से अलग-थलग तथा केन्द्रीय सरकार के व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रमों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। आर्थिक सुधारों एवं संरचनात्मक समायोजन के सम्बन्ध में मैं शासन की दिशा--दृष्टि व अवधारणा को स्पष्ट रुप से प्रस्तुत करना चाहूँगा। मात्र अकादमिक क्षेत्रों में चलन या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्व बैंक के सुझावों के कारण, सुधार या पुनर्गठन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हमारे ढांचे की कमजोरियों के गहरे विश्लेषण तथा विसंगतियों के आकलन तथा विकास की गति बढ़ाने के उद्देश्य से सुधार की आवश्यकता बनती है तो हम ऐसे सुधारों को सहर्ष लागू करेंगे। हमारी नीतियों का केन्द्र बिन्दु आम आदमी है। हमारे आर्थिक सुधारों का मुख्य प्रयोजन सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही तंत्रों की परस्पर सहयोगात्मक शक्ति के माध्यम से लोगों के विकास के लिए उनकी दक्षता और कौशल में अभिवृद्धि करना है। मुद्रा स्फीति को रोकने की असफलताओं के कारण आम आदमी पर समष्टिगत आर्थिक समायोजन का बहुत अधिक भार पड़ता है।

१५. हमारे वर्तमान आर्थिक सुधारों का प्रयोजन एक ऐसा नीतिगत ढांचा तैयार करना है जो 'आर्थिक व वित्तीय स्थायित्व' 'विकास' और 'सामाजिक न्यायपूर्ण समता' जैसे मूल्यों को प्राप्त करने का आधार प्रदान कर सके। इसके लिए हमें समष्टिगत आर्थिक संतुलन के उपाय सुनिश्चित

करने होंगे तथा उसके अनुरुप संरचनात्मक पुनर्गठन कार्यक्रमों का संचालन करना होगा ताकि आर्थिक विकास और उससे प्राप्त होने वाले लाभ, गरीबों का हित–संवर्धन कर सकें।

१६. विकास हेतु आवश्यकताऐं अपरिमित हैं किन्तु हमारे संसाधन सीमित हैं। यद्यपि हम कृषि, उद्योग, व्यापार और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी इनके प्रतिफल आने में समय तो लगता ही है। वर्तमान में लोगों की कर देने की क्षमता भी कुछ हद तक सीमित है। सरकार संसाधन जुटाने में पीछे नहीं रहेगी और वह सब कुछ करने को कृतसंकल्प है जिससे विनियोजन को एक अत्यन्त ऊँची कक्षा में स्थापित किया जा सके। अब समय आ गया है जब हम विकास की गति को बढ़ाने के लिए सामुदायिक भागीदारी भी सुनिश्चित करें। जो व्यक्ति सक्षम और समर्थ हैं उन्हें सार्वजनिक सेवाओं के उपभोग के लिए भुगतान करना चाहिए। परन्तु निर्धन और आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति ये सुविधाएं तथा सेवाऐं रियायती दरों पर प्राप्त करने के हकदार हैं। सदन इस बात से सहमत होगा कि सार्वजनिक सेवाओं का परिचालन एवं रखरखाव की बढ़ती लागतों ने, गुणवत्ता के आधार पर इन सुविधाओं का संचालन लगभग असम्भव बना दिया है। प्राप्त आय से इन सेवाओं के विस्तार की बात तो सोची ही नहीं जा सकती। संधारण एवं संचालन का व्यय भी नहीं निकल पाता। इस संदर्भ में मैं विद्युत, सिंचाई, पीने के पानी तथा विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहता हूँ। हम सार्वजनिक सेवाओं का वर्तमान में उपयोग करने वालों को कम कीमत पर सुविधाऐं प्रदान करके उन व्यक्तियों पर, जो इन सेवाओं का पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं, कर का भार नहीं डालना चाहते हैं। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस मुद्दे पर इस सत्र में विचार करके आम सहमति के आधार पर आगे आने वाले वर्षों के लिए विवेक सम्मत समुचित उपभोक्ता मूल्य नीति के लिए अपने सुझाव दें तथा सरकार का मार्गदर्शन करें।

मानवीय संवेदनशीलता के साथ सुधार कार्यक्रम

१७. समस्त सुधारों और पुनर्गठन का प्रयोजन विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। विकास का हमारा उद्देश्य है-राज्य के लोगों की समृद्धि। यदि सुधारों से रोजगार के अधिक अवसर नहीं मिलते, यदि सुधारों से राज्य के लोगों की आमदनी का स्तर नहीं उठता, तो ऐसे सुधारों का कोई मूल्य नहीं है। शासन इस तथ्य से अवगत है कि आर्थिक सुधार एवम् समायोजन से अल्प एवं मध्यम अवधि में कुछ लोगों पर बोझ बढ़ सकता है। विशेषत: सरकार समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों के लिए चिन्तित है। इस बात की आवश्यकता है कि संक्रमण काल में आर्थिक सुधारों के चलते हम उन लोगों को सम्बल प्रदान करें जो आर्थिक सुधारों के कष्टदायक अन्तरिम प्रभावों का सामना करने में अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में हैं। इसलिए मैं उन्हें सुरक्षा के दायरे में लाना जरुरी समझता हूँ। इन लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषाहार, खाद्यान्नों की उपलब्धि, रोज़गार आदि पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ताकि लोग विकासोन्मुख होकर राज्य के समग्र विकास की प्रक्रिया में भागी बन सके व अपनी उन्नति के अवसरों की अनुभूति कर सकें। सुधारों के लागू करने की प्रक्रिया में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी हमारे प्रयासों के केन्द्र बिन्दु बना रहे व अपनी उन्नती के अवसरों की अनुभूति कर सकें। सुधारों के लागू करने की प्रक्रिया में हम यह सुनिश्चित करेगें कि आम आदमी हमारे प्रयासों का केद्र बिन्दु बना रहे तथा हमारी संवेदनशीलता कम नहीं हो।

नीति विषयक मुख्य उद्देश्य

१८. अगले वर्ष हमारी आर्थिक और वित्तीय नीतियों के निम्न प्रमुख उद्देश्य रहेंगे:

i] समन्वित योजना के आधार पर मूल आधारित संरचना (बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) का तेज गति से निर्माण एवं विकास हेतु निजी विनियोग सहित विभिन्न संसाधनों का वृहद् विनियोजन करना;

ii] कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र में तीव्र विकास, विविधीकरण, नवीनतम तकनीक का उपयोग तथा ऊर्जा एवम् सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना;

iii] अर्थ व्यवस्था में अन्तर्निहित सापेक्षित क्षमताओं का अन्तर्राष्ट्रीय विपणन की दृष्टि से उपयोग करके राजस्थान में 'उत्पादक' वातावरण का निर्माण करने के लिए समुचित नीतियों का क्रियान्वयन करना जिससे कि उपलब्ध कच्चे माल का समुचित दोहन होकर उत्पादन व मूल्य वृद्धि में परिलक्षित हो तथा अधिक कीमत वाली निर्मित वस्तुओं का राज्य व देश के बाहर निर्यात बढ़ सके;

iv] आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार के सीधे अवसर जुटाने हेतु समुचित विनियोजन;

v] सम्पूर्ण साक्षरता, कौशलों का उन्नयन एवम् उत्तम तकनीकी शिक्षा से मानवीय संसाधनों का विकास;

vi] समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता, चिकित्सा व पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था ;

vii] विकास प्रक्रिया में जन सहभागिता के साथ राज्य के विकास हेतु प्रशासन तंत्र में दक्षता बढ़ाना; तथा

viii] राज्य के संसाधनों की वृद्धि के अधिक अवसर पैदा करना ताकि नियोजित विकास हेतु अधिक विनियोजन किया जा सके एवम् समाज के उपेक्षित वर्गों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराई जा सके।

१९. केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कुछ योजनाओं एवं कार्यक्रमों की घोषणा की है। इनमें से कुछ नई हैं और कुछ अन्य पुरानी योजनाओं व कार्यक्रमों का परिवर्तित स्वरुप हैं। भारत सरकार से इनके विस्तृत विवरण प्रतीक्षित हैं। राज्य के विकास की आवश्यकताओं एवं जनता की मांग के अनुरुप इन योजनाओं को लागू करने में अपना योगदान देने के लिए हम तैयार हैं।

२०. इस पृष्ठभूमि में जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ पहुँचाने की दृष्टि से हमें हमारी व्यवस्था को लक्ष्यों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना होगा। साथ ही योजनाएं तैयार करने के कौशल में सुधार लाना होगा क्योंकि अब अधिकतर योजनाओं का वित्त पोषण बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सभी परियोजनाओं, विशेषकर आधारभूत संरचना के निर्माण तथा गरीबी उन्मूलन संबंधी परियोजनाओं को अधिक कुशलता से तैयार करना होगा ताकि बैंक एवम् वित्तीय संस्थान सरलता से वित्त पोषण कर सकें।

२१. इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अब मैं अर्थ व्यवस्था सुधार तथा विकास के एक प्रभावी उपकरण के रुप में बजट के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की चर्चा करूँगा।

२२. कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति वर्षा पर बहुत निर्भर रहती है। इस वर्ष राज्य में अधिकांश भागों में अच्छी वर्षा हुई । कृषि के अच्छे उत्पादन तथा उद्योग व अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति के फलस्वरूप त्वरित अनुमानों के आधार पर वर्ष 1980-81 की स्थिर कीमतों पर राज्य का शुद्ध घरेलु उत्पाद 9576 करोड़ रूपये होने की संभावना है जो कि विगत वर्ष से 16.97 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति 2016 रूपये की अनुमानित आय गत वर्ष से 14.55 प्रतिशत अधिक है।

योजनागत विनियोजन

२३. 1990-91 में मैंने इस सदन से तथा प्रदेश की जनता से विनियोजन बढ़ाकर विकास की गति तेज करने का वादा किया था। 1989-90 में प्रदेश की वार्षिक योजना में राज्य में प्रतिव्यक्ति 185 रूपये प्रतिवर्ष विनियोजन होता था जो अन्य बड़े राज्यों के प्रतिव्यक्ति विनियोजन औसत से काफी कम था । माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 1990-91 से हम प्रतिव्यक्ति विनियोजन की दृष्टि से निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं। इस वर्ष राज्य में 556 रूपये का प्रतिव्यक्ति योजनागत विनियोजन हुआ है जबकि अन्य राज्यों का औसत प्रतिव्यक्ति योजनागत विनियोजन 465 रूपये है। इसी प्रकार अगले वर्ष में प्रति व्यक्ति योजनागत विनियोजन 727 रूपये होगा जो अन्य राज्यों में होने वाले औसत विनियोजन से काफी अधिक है। पिछले 5 वर्षों में साधन जुटाकर सरकार योजनागत निवेश में प्रतिवर्ष कीर्तिमान वृद्धि करती गई और चालू वर्ष में यह वृद्धि 44 प्रतिशत के कीर्तिमान पर पहुंची । 1989-90 की 795 करोड़ रूपये की वार्षिक योजना की तुलना में चालू वर्ष में हमारी योजना 2450 करोड़ रूपये है। राज्य की अगले वर्ष की योजना 3200 करोड़ रूपये की रखी गई है जो इस वर्ष की योजना से 30 प्रतिशत अधिक है। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि राजस्थान देश के उन गिने-चुने प्रदेशों में है जहाँ योजना के

आकार में आशातीत वृद्धि होने के बाद भी उसकी शत-प्रतिशत क्रियान्विति की जाती हो। फलस्वरूप आज राजस्थान की गिनती देश में प्रमुख विकासोन्मुख राज्यों में की जाती है।

२४. एक ओर हमने विकास के लिए अपने साधन जुटाये, दूसरी ओर हमने बाह्य सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया। सातवीं पंचवर्षीय योजना तक राज्य को कुल 178 करोड़ रूपये की बाह्य सहायता मिली थी। इसकी तुलना में अगले वर्ष 350 करोड़ रूपये की सहायता मिलने का अनुमान है । इस समय प्रदेश में 1820 करोड़ रूपये की लागत की 12 परियोजनाएँ चल रही हैं। चालू वर्ष में 253 करोड़ रूपये की बाह्य सहायता योजनाएं स्वीकृत हुई। बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए लगभग 3000 करोड़ रूपये की नई योजनाएँ बनाने का कार्य प्रगति पर है।

२५. राज्य के सीमित साधन होने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि निजी क्षेत्र में भी पूँजी निवेश हो। सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में निजी पूँजी निवेश बढ़ाने के लिए हमने प्रभावी प्रयास किये हैं। व्यवस्थाओं का सरलीकरण किया है तथा समुचित सुविधाएँ भी दी हैं। हमारा यह प्रयास होगा कि प्रदेश में उद्यमी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए चिकित्सा, बिजली, सड़क आदि क्षेत्रों में विशेष पूँजी निवेश करें ।

२६. योजना के वित्त पोषण हेतु चालू वर्ष में मार्केट बाण्ड का एक नया माध्यम प्रयोग किया गया, जिससे 250 करोड़ रूपये उपलब्ध हुए। उल्लेखनीय यह है कि राज्य तथा रीको की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के आधार पर I.C.R.A. (Investment Information and Credit Rating Agency of India) द्वारा हमारी साख बहुत अच्छी आंकी गयी। इस आधार पर 14.5 प्रतिशत ब्याज दर पर बाजार में बाण्ड उपलब्ध हो सके। अगले वर्ष योजना के लिए 300 करोड़ रूपये के मार्केट बाण्ड जारी किये जायेंगे ।

२७. मैं माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार के बढ़ते खर्चों तथा अन्य कारणों से योजना राशि में राज्यों को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता का प्रतिशत शनैः शनैः कम होता जा रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में योजना हेतु केन्द्रीय सहायता 74.63 प्रतिशत थी जो अगले वर्ष घटकर 52.07 प्रतिशत रह जायेगी। इस वर्ष केन्द्रीय सहायता में ऋण के 63.8 प्रतिशत की तुलना में अगले वर्ष ऋण का हिस्सा 80.09 प्रतिशत होगा। योजना व्यय के पोषण हेतु अब हमें अपने साधनों पर अधिक निर्भर होना पड़ रहा है। अन्य राज्यों की तुलना में हमारे साधन सीमित हैं। यदि केन्द्रीय सरकार राज्य को अतिरिक्त पूंजीनिवेश के साधन उपलब्ध नहीं कराती है तो हमारे और विकसित प्रदेशों में विकास का अंतर बढ़ता जायेगा। केन्द्रीय सरकार को इस विषम स्थिति से समय-समय पर अवगत कराया गया है।

शिक्षा

२८. शिक्षा में विनियोजन की बढ़ी हुई स्थिति को बनाये रखते हुए सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत इस वर्ष के 272 करोड़ रूपये के प्रावधान की तुलना में आगामी वर्ष में योजना मद में 311 करोड़ 93 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

२९. अगले वर्ष प्रदेश में 614 प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे तथा 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। इससे राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। अगले वर्ष में 60 विद्यालयों को माध्यमिक एवम् उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। इन प्रस्तावों पर लगभग 8 करोड़ 60 लाख रूपये व्यय होने का अनुमान है।

३०. जनभागिता के आधार पर राजकीय विद्यालयों को माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की एक नई योजना प्रारम्भ की जायेगी।

३१. इस समय राज्य में 13,600 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाये जा रहे हैं। अगले वर्ष 4,000 नवीन अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे।

३२. प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु सीडा (Swedish International Development Agency] के सहयोग से राज्य के दूरस्थ एवं दूरगामी स्थानों में शिक्षाकर्मी योजना के अंतर्गत 79 पंचायत समितियों में 1230 विद्यालय तथा 2860 प्रहर पाठशालाएं संचालित हैं। इनमें लगभग 1.12 लाख बालक बालिकाएं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे है। इस योजना को लगभग 300 अतिरिक्त गांवों में विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

३३. अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास की दृष्टि से सरकार वक्फ बोर्ड के माध्यम से मदरसों को राज्य के पाठ्यक्रम की पुस्तकों का बैंक बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का विचार रखती है।

३४. मूक, बधिर एवं नेत्रहीन बालकों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य के दो विशिष्ट विद्यालयों में छात्रावास भवनों का निर्माण एवं विस्तार किया जायेगा। इस पर लगभग एक करोड़ रूपये व्यय का अनुमान है।

३५. शिक्षकों की अध्यापन क्षमताओं में विकास करने तथा बालकों को आनन्ददायी शिक्षा

उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूनिसेफ के सौजन्य से टौंक जिले में संचालित 'गुरू मित्र योजना' का विस्तार चार अन्य जिलों में किया जायेगा। इस योजना पर यूनिसेफ द्वारा लगभग 30 लाख रूपये के व्यय का अनुमान है।

३६. अगले वर्ष 5 नये राजकीय महिला महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है। राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर को स्नातकोत्तर महा विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

तकनीकी शिक्षा

३७. राज्य के बढ़ते औद्योगीकरण को देखते हुए तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अगले वर्ष 30 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने तथा जनजाति क्षेत्र में चल रहे 7 मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव हैं। इसके अतिरिक्त 80 राज्य स्तरीय पाठ्यक्रमों को राष्ट्र स्तरीय पाठ्यक्रमों में क्रमोन्नत किया जायेगा। आयोजना में चालू वर्ष के 6 करोड़ 62 लाख रूपये के प्रावधान को बढ़ाकर आगामी वर्ष में 38 करोड़ 32 लाख रूपये किया जाना प्रस्तावित है।

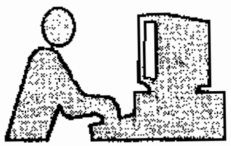

३८. चालू पॉलीटेक्नीक संस्थानों के विस्तार व सुधार के लिए विश्व बैंक सहायतित योजना अब 63 करोड़ 20 लाख रूपये हो की गई है।

विद्युत

३९. माननीय सदस्य प्रदेश में चल रही ऊर्जा की कमी से परिचित हैं। केन्द्रीय विद्युत

प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई चौदहवीं पावर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वर्ष 2001-2002 में पीक डिमाण्ड में 50.9 प्रतिशत एवम् ऊर्जा उपलब्धि में 44.2 प्रतिशत कमी आंकी गई है। राज्य के विकास के लिए इस कमी को पूरा करना अत्यन्त आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि इस कमी को सरकारी क्षेत्र में क्षमता बढ़ाकर पूरा नहीं किया जा सकता। अत: निजी क्षेत्र में उत्पादन के बारे में विचार करना आवश्यक हो गया। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, राज्य में निजी क्षेत्र में लगभग 4300 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं पर कार्यवाही की जा रही है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में साधनों के अभाव के कारण केन्द्रीय सरकार एवम् राजय सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोजन के लिए पूरी तरह समर्थ नहीं हैं। इसी कारण केन्द्रीय सरकार ने विद्युत (सप्लाई) अधिनियम, 1948 में आवश्यक संशोधन कर निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की छूट दी है। विद्युत उत्पादन हेतु कई राज्यों में निजी क्षेत्र में परियोजनाऐं लगाई जारही है

४०. निजी कम्पनियां अपने निवेश पर एक निश्चित दर से लाभ अर्जन करने एवं विद्युत मण्डल द्वारा बिजली की खरीद के समय पर भुगतान हेतु राज्य सरकार की गारन्टी चाहती हैं। कतिपय मामलों में वे भारत सरकार की काउन्टर गारन्टी की भी मांग कर रही हैं। अत: सदन को इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि राज्य में निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन की प्रक्रिया को चालू रखा जाऐ अथवा नहीं।

४१. इस वर्ष विद्युत प्रसारण क्षेत्र में 220 के0वी0 के दो सब-स्टेशन भिवाड़ी एवं हिण्डोन में चालू कर दिये गये हैं, जिससे उस क्षेत्र की बिजली की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इसके साथ-साथ बिलाड़ा एवं चौमूं में भी 220 के0वी0 के सब-स्टेशन स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर 132 के0वी0 के सब-स्टेशनों के कार्य भी प्रगति पर हैं।

४२. औद्योगिक इकाईयों को स्वयं के उपयोग के लिये विद्युत उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा आपूर्ति बढ़ाने के लिए उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त बिजली को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल उचित दर पर खरीदने के लिए विचार कर सकता है।

४३. राज्य सरकार प्रदेश में विद्युत की छीजत में कमी करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रही है। अगले वर्ष विद्युत मण्डल की प्रसारण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। अधिक विद्युत छीजत वाले क्षेत्रों में एल0टी0 लैस व्यवस्था कर किसानों के लिये अलग छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर लगाये जाएंगे ताकि विद्युत चोरी पर अंकुश लग सके, रख रखाव व वोल्टेज में सुधार हो सके तथा विद्युत छीजत में कमी आ सके। विद्युत प्रसारण तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिये पॉवर फाईनेन्स कॉरपोरेशन से 100 करोड़ रूपये की सहायता प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है। इस वर्ष अब तक 213 करोड़ रूपये की सहायता इस निगम से हमें प्राप्त हुई है।

४४. मण्डल द्वारा विद्युत खरीदने के कारण मण्डल की देनदारियां बड़ी हैं साथ ही कच्चे माल दरों में वृद्धि, विद्युत कर्मियों के वेतन व भत्तों में बढ़ोत्तरी के कारण भी विद्युत मण्डल की देनदारियां बढ़ी हैं। भारतीय विद्युत (सप्लाई) अधिनियम, 1948 के अनुसार मण्डल को अपने स्थाई निवेश पर 3% प्रतिवर्ष लाभ अर्जित करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में इसकी सचुचित व्यवस्था के लिए मैं माननीय सदस्यों के सुझाव आमंत्रित करता हूँ।

४५. राज्य विद्युत मण्डल के योजनान्तर्गत कार्यों के लिए आगामी वर्ष में 811 करोड़ 32 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है जो चालू वर्ष की योजना से 175 करोड़ 57 लाख रूपये अधिक है।

कृषि

४६. पिछले कुछ वर्षो से प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। अगले वर्ष प्रदेश में 20,000 फव्वारा लगाने हेतु किसानों को 10 करोड़ रूपये की सहायता दी जाएगी। कुओं से सिंचाई में होने वाली पानी की छीजत को कम करने के लिए अगले वर्ष 15 लाख मीटर लम्बी पाईप लाईने बिछाने हेतु दो करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

४७. गत वर्ष इंदिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में पानी के कुशल उपयोग हेतु डिग्गी निर्माण तथा पम्प सेट एवं फव्वारा सिंचाई हेतु सहायता देने की योजना प्रारम्भ की गई थी। अगले वर्ष में यह योजना गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों के भाखड़ा गंगनहर क्षेत्र में भी लागू करना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत 60 हजार रूपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए वर्ष 1995-96 में एक करोड़ बीस लाख रूपये का प्रावधान है।

४८. हर्ष का विषय है कि राजस्थान राज्य बीज निगम जो पूर्व में घाटे में चल रहा था लगातार तीसरी बार इस वर्ष लाभ अर्जित करेगा। राज्य सरकार व निगम के बीच एक समझौता किया गया है जिसके अंतर्गत सरकार राज्य बीज निगम के ऋण-पूंजी अनुपात को पुनर्गठित करेगी व बीज निगम एक साल में अपने बीज बिक्री कारोबार में 15% वृद्धि करेगा तथा वित्तीय कारोबार को 25 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 30 करोड़ रूपये करेगा।

४९. जैसा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बताया गया है, फल विकास की एक विशेष योजना के अन्तर्गत 15 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।

पशु पालन

५०. पशु पालकों के अपने गांव में ही पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आठ उपखण्डीय मोबाइल पशु चिकित्सा इकाईयों की स्थापना की जावेगी। पशु चिकित्सकों के अभाव से होने वाली असुविधाओं से मैं परिचित हूं। इनके निराकरण के लिए शीघ्र ही 400 पशु चिकित्सकों एवं 200 पशु सहायकों की नियुक्ति की जा रही है।

सहकारिता

५१. राज्य की सहकारी संस्थाओं के भी अच्छे परिणाम अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं जो इस वर्ष दिये गये फसली तथा दीर्घ कालीन ऋणों के स्थापित कीर्तिमान से स्पष्ट है। राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक ने गत वर्ष लाभ अर्जित कर राज्य सरकार को 13 लाख रुपये का लाभांश दिया है। भूमि विकास बैंक नाबार्ड द्वारा अनुमोदित नकद ऋण वितरण योजना के तहत पांच जिलों में प्रायोगिक तौर पर सरलता से दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करायेगा।

सिंचाइ एवं बाढ़ नियंत्रण

५२. अगले वर्ष 17598 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिचाई क्षमता सृजित किये जाने तथा 3 नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करना प्रस्तावित है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों हेतु इस वर्ष के 234 करोड़ 60 लाख रूपये के आयोजना प्रावधान को बढ़ा कर वर्ष 1995-96 में 286 करोड़ 50 लाख रुपये करना प्रस्तावित है।

सिंचित क्षेत्र विकास

५३. इंदिरा गाँधी नहर सिंचित विकास परियोजना हेतु अगले वर्ष 77 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में जापान सरकार की सहायता से चलाई जा रही वृक्षारोपण योजना पर 19 करोड़ रूपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। अगले वर्ष में 80 हजार हेक्टेयर में पक्के खालों के निर्माण के अतिरिक्त 90 किलोमीटर सड़कों व 20 नई डिग्गियों का निर्माण प्रस्तावित है। 8330 रनिंग किलोमीटर नहरों व 250 रनिंग किलोमीटर सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, 595 हेक्टेयर में ब्लॉक प्लान्टेशन तथा 3600 हेक्टेयर में टिब्बा स्थिरीकरण का कार्य प्रस्तावित है।

५४. चंबल परियोजना के लिए आगामी वर्ष में 6 करोड़ 36 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है जिससे 2500 हेक्टेयर में भूमि विकास कार्य कराये जाएंगे।

५५. माही बजाज सागर परियोजना में आगामी वर्ष एक हजार हेक्टेयर में खालों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

इंदिरा गाँधी नहर परियोजना

५६. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना के लिए अगले वर्ष 153 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें 60 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता भी शामिल है। इससे प्रथम चरण में दस हजार हेक्टेयर तथा द्वितीय चरण में 45 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता अर्जित की जाएगी।

५७. प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं के शांतिपूर्ण चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ हुई है। महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गो को आरक्षण के कारण इन संस्थाओं को चलाने का पहली बार अवसर मिला है। इन संस्थाओं में उनकी भागीदारी बनी है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन की शुरूआत है। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि पंचायत राज व्यवस्था में आये इस क्रांतिकारी परिवर्तन से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में गति आएगी। विकास की कुछ अतिरिक्त योजनाएँ पंचायत राज संस्थाओं को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है।

५८. यद्यपि दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत इन संस्थाओं को वर्ष 1996-97 से ही सहायता प्राप्त होना अनुशंसित है, पर सरकार ने अगले वर्ष से ही ग्राम पंचायतों को दिये जाने वाले प्रति व्यक्ति अनुदान की राशि 25 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर इस राशि में और वृद्धि किये जाने पर विचार किया जायेगा।

५९. पंचायती राज प्रशासन में सुधार के उद्देश्य से अत्यधिक बड़ी पंचायत समितियों का पुन: सीमान्कन कर पुनर्गठन किया जायेगा।

विशिष्ट योजनाएँ

६०. गांव और गरीब को विकास का केन्द्र बिन्दु मानकर ग्रामीण विकास को राज्य सरकार सर्वाधिक महत्व दे रही है। अगले वर्ष में पुराने अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाने के

साथ-साथ राज्य सरकार छोटे-छोटे तालाबों, एनीकट, नाड़ियों आदि के निर्माण को विशेष महत्व देगी और इस हेतु एक विशेष योजना चलाई जायेगी।

६१. आर्थिक उदारवाद तथा बाजार व्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए तथा आम व्यक्ति की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में रोजगार के अवसर विकसित करना आवश्यक है। मरू विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, अपना गॉंव अपना काम योजना, सहभागी नगर विकास योजना, नेहरू रोजगार योजना, निर्बन्ध राशि योजना, जल ग्रहण विकास परियोजनाओं तथा योजना में सिंचाई व सड़क निर्माण हेतु रखे गये प्रावधान को मिलाकर कुल 1158 करोड़ रूपये का व्यय प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए होगा। इससे 15 करोड़ मानव दिवस सृजित होंगे। यह राशि इस वर्ष इन कार्यों पर खर्च की जाने वाली राशि से 365 करोड़ रूपये अधिक है। गरीबी उन्मूलन व गरीब को रोज़गार देने के हमारे मन्तव्य की यह सशक्त अभिव्यक्ति है।

६२. माननीय सदस्यों ने अरावली श्रृंखला के अन्तरालों के कारण पूर्व की ओर मरू क्षेत्र के प्रसार की आशंका से अवगत कराया है। इस बात को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने विशेष प्रयास कर भारत सरकार से ऐसे 8 अतिरिक्त विकास खंडों को मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करवा लिया है।

६३. राज्य सरकार प्रदेश के 172 विकास खंडों की परियोजनाएँ उपग्रह से प्राप्त चित्रों के अनुरूप बनवायेगी और उन्हीं के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों में जल ग्रहण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जावेगा।

६४. राज्य के 7 जिलों में फैले डांग क्षेत्र के पिछड़ेपन से माननीय सदस्य परिचित है। अगले वर्ष में डांग क्षेत्र विकास के नये कार्यक्रम के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

६५. जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं पर अगले वर्ष 767 करोड़ रुपये खर्च किये जायेगें जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। आवश्यकता इस राशि को दीर्घकालीन विकास के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सही ढंग से खर्च करने की है। मैं माननीय सदस्यों व पंचायत राज संस्थाओं के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों का विशेष रुप से आह्वान करुँगा कि वे इन कार्यक्रमों पर विशेष रुचि लें।

वन

६६. जापान सरकार के आर्थिक सहयोग से प्रारम्भ की जाने वाली एक वानिकी विकास परियोजना हेतु अगले वर्ष में 15 करोड़ 77 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा। राज्य के शहरी क्षेत्रों में वानिकी को प्रोत्साहन देने के लिये 'अर्बन फॉरेस्ट्री' के नाम से एक नयी योजना बनाई जा रही है जिसे आगामी वर्ष से लागू किया जाना प्रस्तावित है।

पेय जल

६७. विधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री हरिशंकर भाभड़ा की अध्यक्षता में पिछले वर्ष 'पेय जल समस्या समाधान समिति' का गठन किया गया था। इस समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है। समिति के सुझावों का चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करने पर विचार किया जा रहा है।

६८. पेय जल तकनीकी मिशन के नीति-निर्देशों के अनुरुप विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध साधनों से अगले वर्ष 4500 गॉव व ढाणीयों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

६९. पेय जल व्यवस्था के लिए अगले वर्ष 252 करोड़ 90 लाख रुपये की आयोजना राशि का प्रावधान किया गया है जो इस वर्ष के प्रावधान से 40 करोड़ रुपये अधिक है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

७०. अधिक वर्षा होने के कारण इस वर्ष मलेरिया का विशेष प्रकोप हुआ। प्रशासन ने तत्परता से इस व्याधि पर नियन्त्रण किया। माननीय सदस्य सरकार द्वारा मलेरिया नियन्त्रण के लिए उठाये गये कदमों से परिचित हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता को महसूस करता हूँ। राज्य के विकास की मूल भूत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पिछला बजट मैनें शिक्षा को समर्पित किया था उसी तरह इस बजट को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को समर्पित करता हूँ। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चालू वर्ष के 73 करोड़ 9 लाख रुपये के प्रावधान की तुलना में अगले वर्ष 124 करोड़ 66 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु आयोजना प्रावधान में 70 प्रतिशत की कीर्तिमान वृद्धि की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रावधानों में 125 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

७१. जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं हैं वहां समयबद्ध रुप से भवनों के निर्माण करवाने का निर्णय लिया गया है। चिकित्सकों के आवासगृहों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जावेगा। इन निर्माण कार्यों पर अगले वर्ष अनुमानतः 57 करोड़ रुपयों की राशि खर्च की जावेगी।

७२. यद्यपि राज्य में गतवर्षों में बड़ी संख्या में उप केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये लेकिन प्रदेश की भौगोलिक विषमता के कारण कई क्षेत्रों में असंतुलन हो गया। इसको दूर करने के लिए प्रदेश में इस वर्ष 89 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उन स्थानों पर खोले जायेंगे। चिकित्सा व्यवस्था में उपकेन्द्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। चिकित्सा में स्थानीय स्तर पर जनभागिता स्थापित करने की दृष्टि से स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर उनके माध्यम से स्वेच्छिक आधार पर उपकेन्द्र चलाने की एक योजना बनाई जावेगी और 700 गॉवों में इसकी क्रियान्विति की जावेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें सुलभ कराई जावेंगी। 50 स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स रे मशीन एवम् 103 केन्द्रों पर ई.सी.जी. मशीनें उपलब्ध करवाई जायेंगी।

७३. गंम्भीर रोगियों को तुरन्त एवं बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए अगले वर्ष 20 जिलों में सघन चिकित्सा ईकाईयाँ खोली जायेंगी। चार जिलों में टी.बी. क्लिनिक खोले जायेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के समस्त जिलों में टी.बी. चिकित्सालयों की सुविधायें उपलब्ध हो जायेगी। सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले व्यक्तियों के लिए महुवा, फतेहपुर एवं देवली में राज मार्गों पर तीन आपात कालीन सेवा ईकाईयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

७४. औषधियों के प्रावधान को इस वर्ष दुगुना कर दिया गया है। औषधियों की गुणवत्ता बनाये रखने तथा नकली दवाओं की रोकथाम के उद्देश्य से औषधि नियंत्रण संगठन का विस्तार किया जावेगा। जिन गॉवों में चिकित्सालय हैं वहां दवाई विक्रय केन्द्र नहीं होने से रोगियों को परेशानी होती है। सरकार ऐसे सभी स्थानों पर दवाई विक्रय केन्द्र चलवाने की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है।

७५. आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेन्ट्स के नये पदों का सृजन किया जा रहा है।

७६. माध्यमिक स्तर के अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण, शिक्षण संस्थाओं में स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराने आदि के लिए लगभग 300 करोड़ रुपयों की एक परियोजना तैयार की जारही है।

७७. रोगी परीक्षण व जांच के लिए मंहगे उपकरण बड़े पैमाने पर अस्पतालों में उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो पा रहा है, अत: बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर स्वपोषित आधार पर अस्पतालों में उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे। उपकरण खरीदने के लिए मार्जिन मनी सरकार उपलब्ध करायेगी। इनका संचालन विकेन्द्रित आधार पर किया जायेगा।

७८. अगले वर्ष 20 नये आयुर्वेदिक अस्पताल खोलना प्रस्तावित है।

परिवार कल्याण

७९. गर्भ रोकने के उपायों को सामाजिक विपणन के आधार पर चला कर परिवार कल्याण कार्यक्रम की बेहतर क्रियान्विति के लिए टोंक व दौसा जिलों में 'विकल्प' कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रम को केवल ऑपरेशन करने तक ही सीमित नहीं करके वृहत् सामाजिक व व्यक्तिश: समझ के आधार पर लागू किया जावेगा। इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध प्रावधान को दुगुना कर दिया गया है। चालू वर्ष में भारत जनसंख्या परियोजना-9 के अन्तर्गत राज्य के पश्चिम क्षेत्र के दस जिलों के लिए 108 करोड़ 56 लाख रुपये की लागत की एक नई परियोजना लागू की गई है।

महिला व बाल विकास

८०. वर्तमान में समेकित बाल विकास कार्यक्रम 167 ग्रामीण तथा 11 शहरी खण्डों में संचालित किया जारहा है। अगले वर्ष 10 नई ग्रामीण परियोजनाएँ एक नई शहरी परियोजना को लागू किया जायेगा। आंगन बाड़ी केन्द्रों के भवन नहीं होने से असुविधा होती है, अगले वर्ष 1000 आंगन बाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जायेगा। इस कार्यक्रम को पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से चलाने पर विचार किया जायेगा।

८१. गरीब क्षेत्रों में महिला और बच्चों के विकास की योजना (दृवाकरा) के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे वाले चयनित परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार दिलाने के लिए उनके समूहों का गठन कर, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाकर ऋण व अनुदान की राशि से लाभान्वित किया जाता है। वर्तमान में यह परियोजना राज्य के 100 पंचायत समितियों में चलाई जा रही है। इसके अन्तर्गत लगभग 3300 महिला समूहों का गठन कर 44 हजार से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। स्वरोजगार से महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अगले वर्ष इस योजना का विस्तार अजमेर, चूरु, दौसा, जैसलमेर, नागोर एवं सिरोही जिलों की 44 पंचायत समितियों में किया जावेगा। जिनमें 1250 महिला समूह गठित कर 16 हजार से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा।

समाज कल्याण

८२. समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जातियों के छात्रों के लिए संचालित एवं अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले छात्रों का इस समय मेस भत्ता 250 रुपये प्रतिमाह है। इस राशि में पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता। छात्रों की कठिनाई को देखते हुए मैं मैस भत्ते को 250

रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव करता हूँ। यद्यपि इससे 2 करोड़ 50 लाख रुपये का भार पड़ेगा पर इन छात्रों के कल्याण को देखते हुए हम इस भार को सहर्ष वहन करेंगे।

८३. केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 के बजट में वृद्धावस्था पेंशन की एक नवीन योजना प्रारम्भ की गई है। राज्य में पहले से ही वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा पेंशन की योजना प्रभाव में हैं। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित योजना का पूर्ण विवरण प्राप्त होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन व्यवस्था में आवश्यक संशोधन करने पर विचार किया जावेगा।

८४. अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिये किराये के भवनों में संचालित छात्रावासों की स्थिति अच्छी नहीं हैं। उनमें समुचित सुविधाओं का भी अभाव है, अतः सरकार ने अगले वर्ष 63 जगहों पर छात्रावासों के भवन निर्माण का निर्णय लिया है।

८५. स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान देकर राज्य के प्रमुख शहरों में वृद्ध एवं अशक्त गृह तथा विकलांग पुनर्वास एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने पर भी सरकार विचार कर रही है।

८६. अनुसूचित जाति बाहुल्य 'सम्बल' गांवों में बिजली, पेयजल, सम्पर्क सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, आंगनबाड़ी, सामुदायिक केन्द्र आदि आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 6 करोड़ रुपये की राशि अनुसूचित जाति एवं जन जाति विकास निगम के द्वारा व्यय की जायेगी। निगम की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 90 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा।

सैनिक कल्याण

८७. राजस्थान निवासी भूतपूर्व सैनिकों की 1000 प्रतिभावान लड़कियों को अध्ययन के लिए माध्यमिक शिक्षा स्तर पर 100 रुपया प्रतिमाह एवम् उच्च शिक्षा स्तर पर 150 रुपया प्रतिमाह छात्रवृति देने का निर्णय लिया है। ये छात्रवृतियां पूर्णत: योग्यता के आधार पर दी जावेंगीं।

जनजाति क्षेत्रीय विकास

८८. जनजाति विकास के लिए हम हमेशा विशेष प्रयास करते रहे हैं। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास के लिए इस वर्ष उपलब्ध 333 करोड़ 13 लाख रुपये की राशि की तुलना में अगले वर्ष 433 करोड़ 57 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो 100 करोड़ रुपये अधिक है।

८९. आदिवासी छात्रों के लिए प्रतापगढ़, खैरवाड़ा एवम् सागवाड़ा में आश्रम छात्रावासों के निर्माण हेतु 98 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। कुशल गढ़ महाविद्यालय में एक छात्रावास का निर्माण कराया जायेगा।

राजकीय उपक्रम

९०. राजकीय उपक्रमों के सुधार के प्रयासों के परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि जिन उपक्रमों में निरन्तर घाटा हो रहा है उन्हें बन्द किया जाये। बन्द होने वाले उपक्रमों के कर्मचारियों को आवश्यक परिलाभ के अलावा संविदा के आधार पर वैकल्पिक रोजगार देने की व्यवस्था की गई है साथ ही राजकीय उपक्रमों को परिलाभ

हेतु सहायता देने के लिए अगले वर्ष 'राज्य नवीनीकरण कोष ' (स्टेट रिन्युअल फण्ड) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बन्द होने वाले उपक्रमों की परिसम्पत्तियों के बैचान से जो राशियां प्राप्त होगी उसे भी इस फण्ड में जमा कराया जावेगा। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष (नेशनल रिन्युअल फण्ड) से भी इसके लिए सहायता लेने का प्रयास किया जायेगा।

९१. गत वर्ष की गई घोषणा के अनुसार राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड एवं राजस्थान बीज निगम तथा राज्य सरकार के बीच उनकी क्रियाकलापों के बारे में समझौता किया गया है। अगले वर्ष भी कतिपय राजकीय उपक्रमों के साथ उत्पादकता बढ़ाने के लिए 'मेमोरेण्डा ऑफ अण्डरस्टेन्डिंग' किये जावेंगे।

उद्योग

९२. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है राज्य सरकार द्वारा घोषित नयी उद्योग नीति का सर्वत्र स्वागत किया गया है। इससे राज्य में औद्योगिक निवेश का अनुकूल वातावरण बना है।

९३. नई औद्योगिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य राज्य में उपलब्ध संसाधनों के समुचित दोहन से अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करवाना है। राजस्थान में चमड़ा एवं ऊन की व्यापक उपलब्धता होते हुए भी यहां इन पर आधारित उद्योग नहीं लग पाये और इसके कारण राज्य का अधिकांश कच्चा माल बाहर जाता है। प्रदेश के खनिज भण्डारों का भी लघु उद्योगों के क्षेत्र में पर्याप्त दोहन संभव नहीं हो पाया है। इन उद्यागों के विकास के लिए एक नई व्यूह रचना तैयार की गई है। जिसके लिए एक विशेष परियोजना संगठन स्थापित किया जारहा है। समूहों में इन उद्योगों

के विस्तार, विपणन आदि के लिए आवश्यक सुविधायें दी जायेंगी। इस योजना की क्रियान्विति के लिये अगले वर्ष 5 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है।

९४. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की सहायता से अगले वर्ष कुछ जिलों में ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु एक विशेष योजना प्रारम्भ की जायेगी। नाबार्ड के सहयोग से सवाई माधोपुर में चल रहे जिला ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम को चार अन्य जिलों में प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

९५. खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में अगले वर्ष 30 हजार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जायेगें। बीकानेर में खादी का डिज़ाईन सेन्टर चालू किया जाना भी प्रस्तावित है।

९६. डिज़ाईन व तकनीक सुधार से हस्तशिल्प के विकास के लिए एक हस्तशिल्प संस्थान स्थापित किया जायेगा। संस्थान हेतु 1 करोड 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

९७. 'उद्योग श्री' योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक दक्षता वाले व्यक्तियों को स्वयं का उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना हेतु अगले वर्ष 5 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। नये उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित की जाने वाली नवीन तकनीकी परियोजनाओं के लिए अंश पूँजी सुलभ कराने हेतु एक जोखिम पूँजी कोष गठित करना प्रस्तावित है।

९८. सॉफ्टवेयर निर्यात की विपुल सम्भावनाओं की दृष्टि से जयपुर में भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के सहयोग से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क रीको द्वारा विकसित

किया जारहा है। इस हेतु वर्ष 1995-96 में 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, जयपुर के निकट एक इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर टैक्नोलोजी पार्क भी विकसित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 60 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

९९. उद्योगों के लिए पूँजी विनियोजन अनुदान योजना वर्ष 1990-1995 तक लागू थी। नई औद्योगिक नीति में इस योजना को कुछ संशोधनों के साथ मार्च, 1997 तक चालू रखा गया है। एक संशोधन यह भी था कि अनुदान का लाभ ऐसे नगरीय क्षेत्रों में जिनकी आबादी एक लाख से अधिक हो गई है नहीं दिया जावेगा। किन्तु नई औद्योगिक नीति के फलस्वरुप बने उत्साहजनक वातावरण का पूर्ण लाभ उठाने के उद्देश्य से एवम् ऐसी औद्योगिक ईकाईयाँ जो कि मार्च, 1995 तक किसी कारणवश उत्पादन प्रारम्भ नहीं कर पाती हैं के हित को दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पूँजी विनियोजन अनुदान योजना उक्त नगरीय क्षेत्रों में 31 मार्च, 1996 तक चालू रखी जावे।

खनिज

१००. सरकार द्वारा घोषित नई खनिज नीति के अनुसरण में अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं तथा प्रशासनिक जटिलताओं को दूर किया गया है । खनन पट्टों की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष की गई है तथा क्वारी लाइसेन्सों की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की गई है। मार्बल व ग्रेनाइट के खनन् पट्ट्य आवंटन हेतु नीति तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत निर्धारित साइज के प्लाट्स का सीमांकन किया जाकर इनको आवंटित किया जायेगा।

१०१. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में सोना, चाँदी, जस्ता,

सीसा व ताँबा के खनिजों की खोज करने में हिन्दुस्तान जिंक लि. के साथ किये गये समझौतों के अनुसार पूर्वेक्षण आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं। खनिज आधारित उद्योगों के विकास हेतु सरकार द्वारा चूना पत्थर (सीमेन्ट एवम् स्टील ग्रेड), लिग्राइट, बेस मेटल्स, नोबल मेटल्स, उर्वरक, खनिजों, हीरा, ग्रेनाइट, मार्बल तथा ईमारती पत्थरों की विशेष रूप से खोज की जावेगी।

१०२. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा अगले वर्ष लगभग ढ़ाई लाख टन लिग्राईट का उत्पादन किये जाने का अनुमान है जिसका उपयोग सीमेन्ट संयंत्रों सहित अनेकों उद्योगों ईंधन के रुप में किया जा सकेगा। इससे बिहार एवम् पश्चिम बंगाल से प्राप्त होने वाले कोयलों पर निर्भरता में कमी हो सकेगी। राज्य में ही लिग्राईट के उत्पादन से जहाँ एक ओर उद्योगों को राहत मिलेगी, वहीं सीमावर्ती मरू-स्थलीय क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होंगे।

पर्यटन

१०३. पर्यटन के विकास हेतु ऐतिहासिक महत्व के स्थलों तथा इमारतों की संभाल एवम् पुनरुद्धार के लिये तैयार की गई योजना की क्रियान्विति आगामी वर्ष से की जायेगी। पर्यटकों की सुविधा के लिये राज्य में विमान सेवा के विस्तार के लिए राज्य सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रही है। पहले की तुलना अब प्रति सप्ताह उड़ानों की संख्या 9 से बढ़कर 42 हो गयी है। राज्य सरकार एयर टेक्सीज़ के लिए टूरिस्ट सर्किट बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। इसके लिए राज्य में उपलब्ध हवाई पट्टियों का उपयोग किया जावेगा।

१०४. राज्य के प्रमाणिक इतिहास एवम् संस्कृति की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य

से उदयपुर की मोतीमगरी एवम् आमेर के महलों में दृश्य एवम् श्रव्य (Light and sound) शो प्रारम्भ किया जावेगा। राजस्थान हेरिटेज होटल के विकास में सबसे आगे रहा है। ऐसे होटलों की संख्या अब 65 हो गई है तथा आशा है कि आगामी वर्ष के अन्त तक राज्य में 100 से भी अधिक हेरिटेज होटल कार्य करने लगेंगे।

१०५. पर्यटन विकास हेतु राज्य सरकार निजी क्षेत्र का सहयोग लेगी तथा इस क्षेत्र में पूंजी के बेहतर एवम् कुशल निवेश के लिए उत्प्रेरक की भूमिका का निर्वहन करेगी।

यातायात

१०६. मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि प्रबन्ध सुधार से पिछले चार वर्षों से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लगातार लाभ में चल रहा है। अगले वर्ष निगम द्वारा 42 करोड़ रूपये की लागत से 600 बसें खरीदी जायेंगी। परिवहन क्षेत्र में निजी विनियोजन का पूरा लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से एक वृहत् योजना तैयार की जा रही है।

१०७. राष्ट्रीय राजमार्ग एवम् अन्तर्राजीय राजमार्गों पर परिवहन विभाग की चौकियों से उद्योग, व्यापार एवम् ट्रेफिक संचालन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः इन चौकियों को 1 मई, 1995 से समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। इन चौकियों को हटाये जाने से होने वाली राजस्व हानि को पूरा करने की वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी। करापवंचन को रोकने के लिए देय कर राशि की कई गुना शास्ति एवं माल जब्ती इत्यादि के कठोर प्रावधान किये जावेंगे। आशा है राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य में व्यापार एवम् उद्योग धन्धों को बढ़ावा मिलेगा तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली ट्रेफिक सम्बन्धी कई परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। इसी तरह नगर पालिकाओं द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चुंगी अवरोधक लगाने

से मुक्त व्यापार पर विपरीत असर पड़ता है। जनता को परेशानी होती है तथा ट्रेफिक संचालन में भी बाधायें आती हैं, अतः नगर पालिकाओं / नगर परिषदों / नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाई गई चुंगी चौकियों को हटाने का निर्णय लिया गया है। ये संस्थायें अपने शहर के प्रवेश बिन्दु पर चुंगी अवरोधक लगा सकेंगी। इन चौकियों एवं अवरोधों को समाप्त करने की मांग कई माननीय सदस्य तथा विभिन्न वाणिज्यिक एवं परिवहन संगठन लम्बे समय से कर रहे थे।

सड़क निर्माण

१०८. राजस्थान सड़कों की दृष्टि से देश के अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है। सड़कों के निर्माण के लिये इस वर्ष रखे गये 144 करोड़ 30 लाख रुपये के प्रावधान की तुलना में अगले वर्ष योजना में 215 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अगले वर्ष 1150 किलो मीटर की सड़कें बनाई जायेंगी तथा 350 गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। सड़क विकास नीति के अनुसार सड़को व पूलों के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थानों से संस्थागत वित्त प्राप्त किया जावेगा एवं निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जावेगा।

१०९. सड़कों के सहारे अतिक्रमण होने से दुर्घटनाएं होती हैं तथा यातायात में भी बाधा होती हैं। इस प्रवृति के प्रभावी नियंत्रण हेतु अलग से कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है।

स्थानीय निकाय एवम् नगरीय विकास

११०. जयपुर शहर में आबादी के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि जयपुर शहर के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र में भी नियोजित विकास किया जावे। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

परियोजना संगठन के अनुरूप ही जयपुर तथा आसपास के क्षेत्रों के सम्भावित विकास हेतु 'राज्य राजधानी क्षेत्र परियोजना' संगठन स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगले वर्ष इसके लिए 97 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

१११. शहरों में जनोपयोगी स्थायी परिसम्पत्तियों के जन सहयोग से निर्माण हेतु 'सहभागी नगर विकास योजना' इस वर्ष प्रारम्भ की गई है। अगले वर्ष इसके लिए सरकार की ओर से 30 करोड़ रूपये सहायता देने हेतु प्रावधान रखा गया है।

११२. यद्यपि सरकार को राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी स्वायत शासी संस्थाओं को वर्तमान में दी जा रही प्रति व्यक्ति अनुदान राशि में 1 अप्रेल, 1995 से 25 प्रतिशत वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। स्थानीय निकाय निदेशालय की शक्तियों का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया जायेगा ताकि स्थानीय स्तर पर नगरपालिकाओं की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सके।

११३. नगरपालिकाओं द्वारा आवंटित भूमि के पट्टों के पंजीकरण हेतु अभियान चलाया जायेगा ताकि इन भूखण्डों के स्वामित्व की समस्या का समाधान हो सके।

राजस्व

११४. राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण पर पूर्व में समुचित ध्यान नहीं दिया गया । प्रशासन को गांव के समीप लाने के लिए हमने 4 नये जिले बनाये। अब राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण तथा काश्तकारों की समस्याओं के सहज निवारण के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये की एक योजना

बनाई गई है। इसके प्रथम चरण की क्रियान्विति के लिए अगले वर्ष 25 करोड़ रुपये खर्च किया जाना प्रस्तावित है। यह राशि भवन निर्माण, उपकरण खरीद, नये पटवार हल्के, भू निरीक्षक सर्किल, राजस्व न्यायालय, तहसीलें व उपखण्ड खेलने पर खर्च की जायेगी।

११५. राजस्व प्रशासन से जुड़े हुए सभी स्तर के अधिकारियों हेतु एक वृहत् प्रशिक्षण योजना तैयार की गई है। राजस्व मण्डल के अन्तर्गत 'राजस्थान रेवेन्यु रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट ' स्थापित किया जारहा है जिसका मुख्यालय अजमेर होगा। आशा की जाती है कि इन अधिकारियों को राजस्व कानून व प्रक्रियाओं के प्रशिक्षण से उनके कार्य में दक्षता व कुशलता की वृद्धि होगी।

कानून व व्यवस्था

११६. राज्य पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बनाई गई महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत अगले वर्ष 20 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

११७. राज्य की राजधानी की पुलिस सेवा की अपनी विशेष समस्याएं हैं। जयपुर शहर की पुलिस व्यवस्था के पुनर्गठन एवम् सुदृढ़ीकरण पर वृहत् योजना के अन्तर्गत लगभग 55 करोड़ रूपये का व्यय किया जायेगा। इसके लिए अगले वर्ष 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

११८. पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 1995-96 के दौरान 5 करोड़ 20 लाख रूपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

१९९. जोधपुर तथा अजमेर में पुलिस विधि प्रयोगशाला की क्षेत्रीय इकाईयाँ स्थापित की जायेंगी तथा जयपुर में कार्यरत विधि विज्ञान प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। इस हेतु 2 करोड़ 57 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

१२०. राज्य पुलिस की गुप्तचर शाखा के सुदृढ़ीकरण हेतु 75 लाख रूपये, अपराध अन्वेषण शाखा के सुदृढ़िकरण के लिए 75 लाख रूपये तथा नवसृजित जिले हनुमानगढ़ में वायरलैस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 62 लाख रूपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

१२१. कई बार थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु कागज उपलब्ध नहीं होने की लोग शिकायत करते हैं। कागज एवं अन्य फार्म पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु 75 लाख रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

युवा मामले एवम् खेलकूद

१२२. सरकार द्वारा खेलों व खिलाडियों के विकास हेतु समुचित प्रयास किये जाते हैं। अगले वर्ष में राज्य केसीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवम् श्रीगंगानगर में खेल मैदान के विकास एवम् खेल प्रवृतियों को गति देने हेतु क्रीड़ा संकुल का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। जनजाति क्षेत्रों में तीरन्दाजी के विकास पर विशेष ध्यान दिया जावेगा।

१२३. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को अधीनस्थ एवम् मंत्रालयिक सेवाओं तथा राजकीय उपक्रमों में सीधी नियुक्ति देने पर विचार किया जायेगा।

कर्मचारी कल्याण

१२४. प्रशासन चलाने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कर्मचारी कल्याण हेतु समूह पर आधारित दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 1995 से लागू किया जाना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत प्रति वर्ष देय प्रीमियम राशि की एवज में किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु होने या पूर्णतया अपंग होने पर अधिकतम 2 लाख रूपये की राशि दी जा सकेगी।

वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमान

१२५. 1994-95 के प्रारम्भिक घाटे के 134 करोड़ 25 लाख रुपये को चालू वर्ष के 206 करोड़ 31 लाख रुपये के अनुमानित घाटे में जोड़कर इस वर्ष के अन्त में कुल बजटीय घाटा 340 करोड़ 56 लाख रुपये आंका गया था।

१२६. बेहतर वसूली तथा लोक खाते में अधिक प्राप्तियों के फलस्वरुप 1994-95 का प्रारम्भिक घाटा केवल 66 करोड़ 42 लाख रुपये ही रहा- चालू वर्ष के दौरान कतिपय मदों में सरकार द्वारा अपरिहार्य व्यय किये जाने के कारण 372 करोड़ 76 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय के लिये प्रावधान संशोधित अनुमानों में करना पड़ा- इसके फलस्वरुप सामान्यतया वर्ष के अन्त में बजटीय घाटा 645 करोड़ 49 लाख रुपये हो जाता- लेकिन प्रारम्भ से ही राज्य सरकार इस सम्भावित घाटे को कम करने के लिए सचेष्ट रही- राज्य सरकार द्वारा मितव्ययता तथा गैर-आयोजना मदों में परिहार्य व्यय कम करने हेतु किये गये प्रयासों, राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी व अतिरिक्त संसाधनों तथा अल्प बचत के बेहतर संग्रहण के फलस्वरुप 1994-95 के संशोधित अनुमानों में इस घाटे को पूरित कर चालू वर्ष का बजट संतुलित कर लिये जाने की पूर्ण सम्भावना है।

१२७. जैसा कि आपको विदित है, चालू वर्ष की वार्षिक योजना का कीर्तिमान आकार 2450 करोड़ रुपये का है- इस महती योजना का वित्त पोषण अपने आपमें एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था- सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि योजना आयोग द्वारा निर्धारित 172 करोड़ 62 लाख रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लक्ष्य की तुलना में राज्य सरकार एवं इसके उपक्रमों द्वारा 462 करोड़ 41 लाख रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाना सम्भावित है- करों के द्वारा राज्य के संसाधनों में वृद्धि की सीमा को

ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना के वित्त पोषण के लिए इस वर्ष बजट-इतर स्त्रोतों से भी संसाधन जुटाये हैं।

१२८. आठवीं पंचवर्षीय योजना के वित्त पोषण के लिए राज्य सरकार को 2827 करोड़ 55 लाख रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने थे- सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि योजना के प्रथम तीन वर्षों में ही 3197 करोड़ 44 लाख रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के कदम उठा लिये गये हैं, जबकि अगली योजना काल के दो वर्ष और शेष हैं।

१२९. वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

1	राजस्व प्राप्तियां	6432 करोड़ 9 लाख रुपये
2	राजस्व व्यय	6852 करोड़ 66 लाख रुपये
3	राजस्व खाते में घाटा	(-) 420 करोड़ 57 लाख रुपये
	जिसमें गैर आयोजना घाटा	(-) 258 करोड़ 11 लाख रुपये
4	पूँजीगत प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	3334 करोड़ 94 लाख रुपये
5	पूँजीगत व्यय	2847 करोड़ 95 लाख रुपये
6	पूँजीगत आधिक्य	(+) 486 करोड़ 99 लाख रुपये
7	बजटीय अधिशेष	(+) 66 करोड़ 42 लाख रुपये

१३०. वर्ष 1993-94 के वास्तविक लेखों के अनुसार वर्ष के अन्त में 66 करोड़ 42 लाख रुपये का घाटा रहा था लेकिन चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के अनुसार इतनी ही राशि का अधिशेष अनुमानित होने के फलस्वरुप चालू वर्ष के अन्त में घाटा शून्य रह कर बजट संतुलित होने की संभावना है-

आय-व्ययक अनुमान 1995-96

१३१. अगले वर्ष 1995-96 के आय व्ययक अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

1	राजस्व प्राप्तियां	7163 करोड़ 26 लाख रुपये
2	राजस्व व्यय	7988 करोड़ 19 लाख रुपये
3	राजस्व खाते में घाटा	(-) 824 करोड़ 93 लाख रुपये
	जिसमें गैर आयोजना घाटा	(-) 73 करोड़ 56 लाख रुपये
4	पूँजीगत प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	2952 करोड़ 78 लाख रुपये
5	पूँजीगत व्यय	2436 करोड़ 85 लाख रुपये
6	पूँजीगत आधिक्य	(+) 515 करोड़ 93 लाख रुपये
7	बजटीय घाटा	(-) 309 करोड़ ।

१३२. मुझे बजट के गैर-आयोजना राजस्व खाते के प्रबन्धन की बहुत चिन्ता रही है- तेजी से बढ़ते हुए बजट के राजस्व घाटे को सीमित करना आवश्यक है- देश की अर्थ व्यवस्था एवम् केन्द्र सरकार से पर्याप्त सहायता उपलब्ध नहीं होने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें बजट के राजस्व घाटे को समाप्त करने में आने वाली कठिनाई को समझना चाहिए- इस खाते में वर्ष 1993-94 के 322 करोड़ 74 लाख रुपये के राजस्व घाटे तथा चालू वर्ष के 258 करोड़ 11 लाख रुपये के राजस्व घाटे की तुलना में अगले वर्ष केवल 73 करोड़ 56 लाख रुपये का घाटा अनुमानित किया गया है- मैं आगामी दो वर्षों में गैर-आयोजना राजस्व घाटे की पूर्ति का प्रस्ताव रखता हूँ- निश्चित ही यह एक कठिन कार्य है- इस के लिए मैं सरकार के सभी विभागों को निर्देश दे रहा हूँ कि राजस्व व्यय को कम करने के लिए कठोरतम वित्तीय अनुशासन का पालन करें तथा ऐसे उपाय सोचें जिससे राजस्व आय में वृद्धि हो- शून्य आधारित बजट की प्रणाली के जरिये सभी विभागों से अपेक्षा की गई है कि वे अपनी सभी योजनाओं, कार्यक्रमों एवम् प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विस्तृत परिक्षण करें तथा अनावश्यक एवम् अनुत्पादक व्यय को समाप्त किया जाऐ

१३३. 309 करोड़ रुपये का यह घाटा मुख्यतया दसवें वित्त आयोग द्वारा आयोजना व्यय के घाटे के पेटे किसी प्रकार के अनुदान की अनुशंसा नहीं करने कारण रहा है- इस घाटे को फिलहाल अपूरित छोड़ता हूँ अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाकर, कर एवं कर-भिन्न राजस्व की बेहतर वसूली सुनिश्चित कर और अनावश्यक व्यय में मितव्ययता करके कठोर वित्तीय अनुशासन के माध्यम से इस घाटे को पूरा करने के लिए मैं कृतसंकल्प हूँ

१३४. अगले वर्ष के 3200 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आयोजना व्यय के वित्त पोषण हेतु राज्य के स्वयं के संसाधन 1210 करोड़ 91 लाख रुपये, बाजार एवं संस्थागत ऋण 843

करोड़ 55 लाख रुपये, केन्द्रीय सहायता 486 करोड़ 54 लाख रुपये, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु 350 करोड़ रुपये के संसाधन उपलब्ध हैं- राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से योजना आयोग ने आगामी वर्ष में योजना व्यय के संसाधनों में चालू वर्ष की तुलना में फार्मूला आधारित केन्द्रीय सहायता (शुद्ध) में 52 करोड़ 77 लाख रुपये व राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले बाजार ऋणों में 80 करोड़ रुपये व संस्थागत ऋणों में 32 करोड़ 59 लाख रुपये की वृद्धि की है।

१३५. यद्यपि राज्य की वार्षिक योजनाओं के आकार में निरन्तर वृद्धि हो रही है, तथापि यह बात भी स्पष्ट है कि शनैः शनैः राज्य की आय के स्रोत सिमटते जा रहे हैं- सामाजिक सेवाऐं उपलब्ध कराने का गुरुतर दायित्व राज्य सरकारों पर है जबकि अधिकांश आर्थिक स्रोत केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में है- उदारीकरण एवं ग्लोबलाईजेशन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सेवाओं के माध्यम से कमज़ोर वर्ग को सामाजिक कवच उपलब्ध कराने के भार के निर्वहन करने के लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो इस दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के आर्थिक स्रोतों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।

भाग II

१३६. अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उत्सुकता से प्रतीक्षित बजट के कर तथा कर प्रबंधन से संबन्धित प्रस्तावों पर आता हूँ।

बिक्री कर

१३७. जैसा कि आपको विदित है कि वर्ष 1994-95 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने यह मत व्यक्त किया था कि कर व्यवस्था मात्र राजस्व एकत्रित करने का साधन ही नहीं है अपितु इसका उद्देश्य राज्य के व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर राज्य की चहुंमुखी आर्थिक प्रगति भी करना है ।

१३८. राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों में आम सहमति के आधार पर एक ऐसा सरलीकृत कर ढांचा, जो कि संपूर्ण देश में समान रूप से लागू होने के साथ-साथ पारदर्शी भी हो, बनाए जाने पर बल दिया जा रहा है । राजस्थान तथा उत्तर क्षेत्र के कुछ अन्य राज्यों द्वारा भी इस दिशा में पहल की जा रही है। यह बजट इस संदर्भ में उभरती हुई राष्ट्रीय सहमति की कुछ मुख्य सिफारिशों को अमल में लाने का प्रयास है। इससे हमारा कर ढाँचा सरल व सुसंगत बन सकेगा तथा कर अपवंचना रूकने के साथ-साथ राज्य से व्यवसाय के पलायन पर भी रोक लगेगी।

१३९. वर्तमान में 10 टैक्स स्लैब्स को कम कर 8 स्लैब्स रखा जाना प्रस्तावित है । अब राज्य में कर मुक्त वस्तुओं को छोड़कर सामान्य रूप से 2%, 4%, 6%, 10%, 12%, 16%, 20% एवम् 36% की टैक्स दरें ही प्रभावी रहेंगी।

१४०. सदन के गत बजट सत्र में नये विक्रय कर अधिनियम का प्रारूप माननीय सदस्यों के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था । सदन की प्रवर समिति द्वारा इस विधेयक के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धितों से विस्तृत विचार-विमर्श कर लिया गया है तथा अब प्रवर समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप संशोधित विधेयक माननीय सदन के विचारार्थ इसी बजट सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

१४१. माननीय उच्च न्यायालय में अत्यधिक संख्या में बिक्री कर तथा अन्य करों से सम्बन्धित समादेश याचिकाएं एवं अन्य प्रकरण लम्बित हैं । ऐसे प्रकरणों की संख्या लगभग दो हजार है । हम चाहते हैं कि ऐसे प्रकरणों का शीघ्र निष्पादन किया जावे। अत: मैं प्रस्तावित करता हूँ कि राज्य में उच्च न्यायालय के समकक्ष कर निर्धारणों, वसूली तथा अन्य सम्बन्धित प्रकरणों के निष्पादन हेतु एक अधिकरण का गठन किया जावे। संविधान के अनुच्छेद 323 बी में इस प्रकार के अधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान है । अधिकरण के निर्णयों की अपील केवल उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकेगी । अधिकरण की स्थापना, कार्यक्षेत्र आदि के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के विचारार्थ विधेयक इसी सत्र में सदन में रखा जायेगा।

१४२. विभाग ने राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में एक 'एम्नेस्टी योजना' आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत व्यवहारी को विवादित कर राशि राज्य कोष में जमा करने पर ब्याज एवं शास्ति में छूट दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना का विस्तार करते हुए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व राजस्थान बिक्री कर अधिकरण में लम्बित समस्त प्रकरण, जो दिनांक 1 अप्रेल, 1994 से पूर्व दर्ज थे, के सम्बन्ध में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

१४३. इस वर्ष राज्य में ग्रीन चैनल की नई योजना ईंट-भट्टों, सर्राफा व्यवसाईयों, मिनी

सीमेन्ट उद्योगों, लॉटरी टिकिटें तथा हलवाईयों पर लागू कर दी गई है। इस योजना को और व्यापक बनाया जाकर अन्य व्यवसायों तथा लिमिटेड कम्पनियों को भी इसमें शामिल किया जायेगा ।

१४४. विभिन्न वर्गो द्वारा वाणिज्यकर चेक पोस्ट्स हटाने की निरन्तर मांग की जाती रही है। आर्थिक विकास के लिए निर्बाध व्यापार व परिवहन व्यवस्था की प्रमुख आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में सरकार ने वाणिज्यिक चेक पोस्ट्स हटाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वर्तमान में कार्यरत चैक पोस्ट्स में संगमरमर तथा अन्य भवन सामग्री एवं पशुओं की बिक्री पर कर एकत्रित करने वाली चौकियों को छोड़कर शेष समस्त विभागीय चैक पोस्ट्स को दिनांक 1 मई, 1995 से समाप्त कर दिया जाएगा । इसके परिणामस्वरूप जॉच चौकियों पर अभी तक दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के विधिक फार्म प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी समाप्त हो जावेगी। कर अपवंचना को नियंत्रित करने एवं राजस्व के सम्भान्वित रिसाव को रोकने की दृष्टि से राज्य में अतिरिक्त उड़न दस्तों का गठन किया जायेगा।

१४५. व्यवहारियों के कर निर्धारण की वर्तमान प्रक्रिया में अधिक समय लगता है तथा इनका निष्पादन मांग निर्धारण वर्ष से 3 वर्ष की अवधि में किया जाना अनिवार्य है। वर्तमान में लगभग तीन लाख कर निर्धारण के मामले वाणिज्यिक कर विभाग में लम्बित है। इनके निपटारे के लिए मैं एक नवीन Deemed Assessment Scheme प्रस्तावित करता हूँ। इस योजना के अधीन वर्ष 1993-94 तक के व्यवहारी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत विक्रय-विवरणियों को स्वीकार कर लिया जाएगा तथा ऐसे प्रकरणों में ब्याज व शास्ति आरोपित नहीं की जावेगी। यह योजना ऐसे व्यवहारियों पर लागू नहीं होगी जो घोषणा पत्रों का उपयोग करते हैं एवं विक्रय कर प्रोत्साहन आदि का लाभ उठा रहे हों । इस योजना के अधीन लगभग एक लाख कर निर्धारण मामलों के निष्पादन की संभावना है।

१४६. व्यापार के Globalisation तथा आर्थिक बाजार व्यवस्था के विकास के दौर में मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि छोटे तथा आरक्षित उद्योगों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ऐसे उद्योगों द्वारा अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इस दृष्टि से मैं तीस लाख रूपये तक के वार्षिक टर्न ओवर वाले सभी खादी तथा ग्रामाद्योग संस्थाओं द्वारा विनिर्मित समस्त उत्पादों को कर से मुक्त करने की घोषणा करता हूँ।

१४७. हस्तशिल्प से ना केवल कम लागत में अधिक रोजगार मिलता है बल्कि निर्यात से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। पर्यटन के विकास के कारण भी शिल्पी विशेष लाभान्वित हुए हैं। पिछले वर्ष मैंने 500 रुपये के मूल्य तक की हस्तशिल्प वस्तुओं को कर से मुक्त किया था। दस्तकारी के काम में प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से अब मैं हस्ताशिल्प की समस्त वस्तुओं को कर मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

१४८. विक्रय कर प्रोत्साहन योजना, 1987 एवं 1989 तथा औद्योगिक नीति 1994 से राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला है एवं इनसे राज्य में पूंजी निवेश में सराहनीय वृद्धि हुई है। औद्योगिकरण की इस गति को बनाये रखने तथा उद्योगों की वर्तमान प्रसार गति को और अधिक गतिशील बनाने की दृष्टि से कुछ अतिरिक्त उपाय अमल में लाना आवश्यक है।

१४९. यह उल्लेखनीय होगा कि पूर्व में कुछ उद्योगों की प्लान्ट एवं मशीनरी को कर मुक्त किया गया था। मैं इस सुविधा को दिनांक 31 मार्च, 1997 तक नई स्थापित की जाने वाली सभी औद्योगिक इकाईयों को प्रदान किये जाने की घोषणा करता हूं।

१५०. नई औद्योगिक नीति, 1994 के अनुरूप आस्थगित (डैफर) की गई राशि को सम्बन्धित औद्योगिक इकाई को ऋण में परिवर्तित करने की व्यवस्था की जा रही है।

१५१. विक्रय कर प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली नवीन औद्योगिक इकाईयों को वर्तमान में कर दायित्व का 75% तथा विस्तार की स्थिति में कर दायित्व का 60% कर मुक्ति का लाभ देय है। अब इन दोनों ही स्थितियों में समान रूप से 75% कर दायित्व से मुक्ति करने का प्रस्ताव करता हूँ।

१५२. राज्य में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 5ग के अधीन रियायती दर पर क्रय किये गये कच्चे माल से बनी वस्तुओं के शाखा स्थानान्तरण पर आज प्रतिबन्ध है। इसकी वजह से राज्य के बाहर से कच्चे माल का आयात किया जा रहा है। राज्य में ही क्रय को बढ़ावा देने के लिये अब कच्चे माल को 4% की दर से क्रय करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इससे बने माल के शाखा स्थानान्तरण सम्बन्धी वर्तमान प्रतिबन्ध को समाप्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

१५३. मूल्य संवर्धित कर (Value Added Tax-VAT) प्रणाली को चरणबद्ध रूप में लागू किये जाने के संबंध में राष्ट्रीय सहमति बन रही है । मैं, इसमें पहल करते हुए राज्य में लोहा एवं इस्पात, पीतल, तांबा तथा जस्ते के संबंध में इस प्रणाली को प्रभावी किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इस नई व्यवस्था के अधीन इन वस्तुओं के निर्माण एवं विक्रय की प्रत्येक स्टेज पर कर देय होगा। साथ ही खरीद के समय भुगतान किये गये कर का सेट-ऑफ दिया जायेगा। प्रस्तावित नये विक्रय कर अधिनियम, 1995, में इस नई प्रणाली का प्रावधान किया जा रहा है।

१५४. कर बिन्दु स्थानान्तरित करने की सुविधा विक्रय कर प्रोत्साहन योजनाओं के अधीन आने वाले व्यवहारियों को आज उपलब्ध नहीं है। मैं इस मुद्दे पर पुनर्विचार कर ऐसे विनिर्माताओं को भी यह सुविधा देने का प्रस्ताव करता हूँ।

१५५. चूंकि विद्यमान व्यवस्था से कर निर्धारण के समय व्यवहारियों को इस बाबत अत्यधिक कठिनाईयॉ होती हैं, मैं प्रस्तावित करता हूँ कि विनिर्मित माल के साथ प्रयुक्त पैकिंग मैटेरियल के क्रम में भी अब विक्रय कर प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ देय होगा।

१५६. राज्य में बने सोना एवं चांदी के आभूषणों का निर्यात हो रहा है। इसे प्रोत्साहित करने की दृष्टि से निर्यातित आभूषणों के विनिर्माताओं द्वारा एम0एम0टी0सी0 से क्रय किये गये बुलियन पर कर मुक्ति की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

१५७. मेरी यह सतत् धारणा रही है कि राज्य के प्राकृतिक स्त्रोतों से उपलब्ध कच्चे माल का राज्य में ही अधिक मूल्य संवर्द्धन के विनिर्माण हेतु इस्तेमाल किया जाना चाहिए इस दृष्टिकोण से मैं खाल–चमड़े तथा कच्ची ऊन को विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में उपयोग करने पर पूर्णतया क्रय कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

१५८. वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट्स के क्रम में करारोपण की सरलीकृत प्रक्रिया के अधीन बिजली, सेनेट्री तथा कतिपय फेब्रिकेशन एवं इन्स्टालेशन सम्बन्धी कार्य संविदाओं के लिये संविदा राशि का 4% मुक्ति शुल्क प्रस्तावित करता हूँ, किन्तु एअर–कन्डीशनर्स के इन्स्टालेशन सम्बन्धी कार्यों हेतु यह राशि 6% रहेगी।

१५९. राज्य की आवश्यकताओं की तुलना में राज्य की वनस्पति विनिर्माता इकाईयों की उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है। विद्यमान स्थिति में सुधार की दृष्टि से मैं नई वनस्पति घी उत्पादक इकाईयों को बिक्री कर प्रोत्साहन योजनाओं की निषेधात्मक सूची में सम्मिलित करना प्रस्तावित करता हूँ। यह व्यवस्था उन इकाईयां पर लागू नहीं होगी जिनके द्वारा अधिकांश पूंजी विनियोजन किया जा चुका है। साथ ही मैं वनस्पति घी के अन्तर्राज्यीय विक्रय हेतु 'सी' फार्म की आवश्यकता को भी समाप्त करना प्रस्तावित करता हूँ।

१६०. राज्य सरकार द्वारा राज्य के बाहर भेजे जा रहे भेड़–बकरों पर 12 रूपये प्रति नग की दर से क्रय कर वसूल किया जाता है। इनके लिए एक प्रशमन (कम्पाउन्डिंग) योजना के अधीन भेड–बकरों को ले जाने वाले छोटे वाहनों से एकमुश्त 1000 रूपये तथा बड़े वाहनों से 2000 रूपये प्रति ट्रिप क्रय कर वसूल किया जाना प्रस्तावित है।

१६१. केन्द्र सरकार के विभागों एवं उपक्रमों द्वारा राज्य में उपयोग हेतु राज्य से ही सीमेन्ट की खरीद को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से रियायती दर 5ब से सीमेन्ट क्रय करने की सुविधा वर्ष 1991 से प्रदान की गई थी। मैं यह सुविधा राज्य सरकार के उपक्रमों को भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ।

१६२. टैक्स दरों को सुसंगत बनाने के प्रयास में वस्तुओं के कर वर्गीकरण में परिवर्तन किया गया है। इस प्रक्रिया में बहुत सी वस्तुओं को कर से पूर्णतया मुक्त तथा कुछ पर टैक्स कम करना प्रस्तावित करता हूँ।

[1] इसबगोल, सिंघाड़ा, साँवख्या, कुट्टू, राजगिरा, छाता, जूट से बनने वाली रस्सी, टैक्स चुकाये गेहूँ से बने मैदा व सूजी कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

[ii] खुली चाय पर इस समय 10% कर लगता है इसको घटाकर मैं 4% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

[iii] टेलीफोन, ई.पी.ए.बी.एक्स., फैक्स मशीन, श्वेत-श्याम टेलीविजन, पेजिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज, स्विचिंग ईक्विपमेंट पर वर्तमान की दर 10% से घटाकर 4% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

[iv] एच.डी.पी.ई. व नॉन-वोवन फेब्रिक्स, सभी प्रकार की स्टेशनरी, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, लोहे से बने हार्डवेयर की वर्तमान कर दर 10% को घटाकर 6% करना प्रस्तावित करता हूँ।

[v] खेल-सामग्री, गन्ना, जीरा, वाटर पम्प, धातु के बर्तना की दर 2.5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

[vi] आयुर्वेदिक पद्धति से तैयार की गई सभी प्रकार की वस्तुओं की दरें 10% व 12% है जिनको घटाकर समान रुप से 4% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

[vii] इलेक्ट्रोनिक घेरलू उपकरण पर अब 15% की कर दर को घटाकर 12% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

[viii] चार सौ रूपये मूल्य तक के चश्मों की वर्तमान कर दर को 10% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

[ix] रोगियों की सुविधा के लिए एक्स-रे फिल्म व डिस्पोजेबल सिरिंज की वर्तमान 10% की दर को घटाकर 6% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

[x] सीमेन्ट-एस्बेस्टोस के पाईप इत्यादि की दर भी अब 15% से घटाकर 12% करना प्रस्तावित है।

[xi] दूध को अन्तर्राज्यीय विक्रय-कर से पूर्णतया मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

[xii] नेप्था के डिपो राज्य में ही स्थापित कर स्थानीय विक्रय को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्तमान 10% की दर को घटाकर 2% करना प्रस्तावित है।

[xiii] वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नील व रंगाई-छपाई के रसायन पर वर्तमान 10% दर को घटाकर 4% प्रस्तावित करता हूँ।

[xiv] वाद्य संगीत को लोकप्रिय करने के लिए सभी प्रकार के वाद्य-यंत्रों पर वर्तमान 10% की दर को घटा कर 2% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

[xv] इलेक्ट्रोनिक्स व दूर-संचार के सामान पर अन्तर्राज्यीय कर 4% से घटा कर 2% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

[xvi] वर्तमान मे बुलियन व सोने चाँदी से बने आभुषणों पर क्रमशः 1.5% तथा 2.5% की दर से कर देय है। अब इन दरों को सुसंगत बनाकर एक ही दर 2% रखी जाकर उसे दोनों ही वस्तुओं पर लागू करना प्रस्तावित है।

१६३. टैक्स स्लेब्स की संख्या कम व व्यवहारिक करने की प्रक्रिया में कुछ वस्तुओं को अपेक्षाकृत उच्च दर के स्लेब्स में रखा जाना आवश्यक हो गया है। ऐसा करते समय यह ध्यान रखा गया है कि इसका अतिरिक्त भार जन-साधारण पर नहीं पड़े। इस क्रम में रेफ्रिजरेटर, वाटर-कूलर्स, एअर-कंडीशनर्स, लिनोलियम, आग्नेयास्त्र एवं आयुधों की टैक्स दर को 15% से बढ़ाकर 16% किया जाना प्रस्तावित है। संगमरमर तथा ग्रेनाईट की टैक्स दर को भी 15% से बढ़ाकर 16% करने का प्रस्ताव करता हूँ। पेट्रोल तथा ऐवियेशन स्प्रिट की टैक्स दर को क्रमशः 18% एवं 10% से बढ़ाकर समान दर 20% किया जाना प्रस्तावित है।

१६४. कर विषयक विभिन्न न्यायिक निर्णयों तथा व्याख्या सम्बन्धी भिन्नताओं के कारण पूर्व में कई गंभीर विवाद हुए हैं तथा ऐसे विवादास्पद बिन्दु विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं। सरकार द्वारा विवादों के निपटारे हेतु सदैव सकारात्मक रवैया अपनाया जाता रहा है। इसी क्रम में लिये गये कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख कर रहा हूँ।

१६५. ऐसी समस्त वस्तुओं जिन पर केन्द्रीय विक्रय कर दे दिया गया हो और राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 की धारा 5क के अधीन क्रय कर देय हो, को इस दायित्व से 31 मार्च, 1995 तक मुक्त करना प्रस्तावित करता हूँ। इसी संदर्भ में कागज की रद्दी, खाली बोतलें तथा प्लास्टिक की रद्दी के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए केन्द्रीय बिक्री कर का भुगतान करने की स्थिति में, मैं इन्हें भविष्य में भी क्रय कर के दायित्व से मुक्त करना प्रस्तावित करता हूँ। यही व्यवस्था धनियों व्यापार में भी लागू किया जाना प्रस्तावित है।

१६६. चीनी के साथ प्रयुक्त बारदाना 22 अप्रेल, 1988 से पूर्व तथा 6 मार्च, 1991 से अब तक कर मुक्त है। इन तिथियों के बीच की अवधि में यह सुविधा लागू नहीं थी। मैं अब इस अवधि के दौरान बने कर दायित्व को माफ करना प्रस्तावित करता हूँ।

१६७. भुजिया और नमकीन जो मोटे तौर पर एक ही श्रेणी के खाद्य पदार्थ हैं, पर अन्तर्राज्यीय कर की पृथक-पृथक दरें लागू हैं जिससे उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने की दृष्टि से कर दायित्व में एकरुपता लाना प्रस्तावित करता हूँ।

१६८. कम्बल, रूमाल, मिल मेड बिछाने के चादर, तौलिया व खांडसारी आदि पर न्यूनतम

2% की दर से करारोपण किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इसी प्रकार आयातित चीनी पर भी 2% की दर से कर लगाना प्रस्तावित है।

१६९. वाणिज्यिक कर प्रबंधन में एक नई दिशा बोध प्रदान करने व उत्तरदायी तरीके से कर्तव्य निर्वहन करने हेतु कुछ कदम उठाये जा रहे हैं। विभाग एवं कर दाताओं के बीच सतत् संवाद स्थापित करने हेतु एक समाचार पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग का वृहत् कम्प्यूटरीकरण भी किया जा रहा है। विभाग के मुख्यालय पर बड़े व्यवहारियों के कर निर्धारण एवं सम्बन्धित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु एक विशेष कर निर्धारण वृत्त का गठन किया जा रहा है। व्यवहारियों एवं करदाताओं की शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु एक विशेष अभाव-अभियोग प्रकोष्ठ भी स्थापित किया जा रहा है।

१७०. माननीय सदस्यों ने यह अनुभव किया होगा कि इस बजट में न केवल समाज के विभिन्न तबकों को राहत प्रदान की गई है अपितु कर ढ़ॉचे को सरलीकृत एवं सुसंगत बनाने पर विशेष बल दिया गया है। इसके साथ ही व्यापार एवं व्यवसाय का निर्बाध अन्तर्राज्यीय मूवमेन्ट तथा रोजगार के साधनों में वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी।

१७१. वाणिज्यिक कर विभाग ने हाल ही में करापवंचक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाये हैं। कर-व्यवस्था को सरल एवं सुसंगत करने के उपरान्त भी यदि करापवंचना की जाती है तो राज्य सरकार दोषी व्यवहारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कदम उठाने में नहीं हिचकिचाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन वस्तुओं पर करों को कम किया गया है उनके दाम कम करते हुए इसका लाभ आम नागरिक तक पहुँचाया जावेगा।

१७२. मैंने पिछले वर्ष राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यासों व राज्य सरकार द्वारा निर्मित फ्लैट्स और मकानों के हस्तान्तरण पर मुद्रांक शुल्क को 10% से घटाकर 6% किया था। अब मैं विभिन्न स्वायत्तशासी संस्थाओं, नगर विकास न्यासों एवम् जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय भूखण्डों के पंजीकरण हेतु मुद्रांक शुल्क की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव करता हूँ। यह सुविधा बकाया प्रकरणों पर ही लागू होकर 31 मार्च, 1996 तक प्रभावी रखना प्रस्तावित है। राजस्थान के मुख्य नगरों में बहुमंजिले फ्लैट्स बनने लगे हैं जिनको प्रोत्साहित करने हेतु सभी प्रकार के बहुमंजिले फ्लैट्स के हस्तान्तरण पर भी मुद्रांक शुल्क 10% से घटाकर 6% किया जाना प्रस्तावित हैं।

१७३. आज बंध-पत्रों, बंधक पत्रों व पारिवारिक समझौता पत्रों पर मुद्रांक शुल्क भिन्न-भिन्न दरों पर वसूल किया जा रहा है। इनमें राहत देने एवं सरलीकरण के उद्देश्य से इस प्रकार के दस्तावेजों के पंजीयन पर अब 5% की एक ही शुल्क दर लागू करना प्रस्तावित है जिसके लिए पृथक से एक विधेयक लाया जायेगा।

१७४. पंजीकृत निजी संस्थाओं एवं कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को आवासीय मकान बनाने, खरीदने व मरम्मत करने के लिए स्वीकृत ऋण की जमानत के लिए निष्पादित बंधक पत्रों पर मुद्रांक शुल्क कम करके ऋण की राशि का एक प्रतिशत या 100 रूपया की दर से, दोनों में से जो भी अधिक हो, अब वसूल किया जायेगा।

१७५. वर्तमान में रीको के लिये अवाप्त या आंवटित भूमि के दस्तावेज निष्पादित करने पर 10%

मुद्रांक शुल्क देय है। औद्योगिक विकास के संवर्धन हेतु रीको के पक्ष में निष्पादित भूमि के दस्तावेज को मुद्रांक शुल्क से छूट प्रस्तावित है। रीको द्वारा आंवटित औद्योगिक भूखण्डों के पंजीकरण पर मुद्रांक शुल्क को 10ब से घटाकर 6% किया जा रहा है । यह सुविधा 31 मार्च, 1996 दिया जाना प्रस्तावित है।

१७६. कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा आंवटित दुकानों के किरायेनामों पर मुद्रांक शुल्क 10% की दर से घटा कर 6% किया जाना प्रस्तावित है।

१७७. सामान्यतया दूर–दराज के क्षेत्रों से लोगों को स्टाम्प्स खरीदने हेतु कोष कार्यालयों तक जाना पड़ता है। इस कठिनाई के निवारण हेतु राज्य सरकार ने 2000 से अधिक की आबादी के सभी गांवों में स्टाम्प्स विक्रेता नियुक्त करने का निर्णय लिया है ताकि स्टाम्प खरीदने हेतु लोगों को अधिक दूर नहीं जाना पड़े। लाइसेन्स के नवीनीकरण की अवधि भी कम से कम 10 वर्ष की जा रही है।

भूमि एवं भवन कर

१७८. भूमि एवं भवन कर निर्धारण के प्रकरणों की बढ़ती हुई संख्या को कम करने एवं कर अपवंचना को रोकने के उद्देश्य से विभाग द्वारा दो योजनाओं के माध्यम से कर निर्धारण प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। स्वकर निर्धारण योजना के अन्तर्गत आवासीय भवनों हेतु दस लाख रूपयों तक के मूल्य वाले भूमि एवं भवन का कर निर्धारण आदेश करदायी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत विवरणी के आधार पर ही जारी कर दिया जावेगा।

१७९. दूसरी योजना के अंतर्गत विभाग में पंजीकृत वेल्युअर्स की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार

पर ही कर निर्धारण आदेश पारित किये जावेंगे। इन सरलीकृत योजनाओं के फलस्वरूप विभाग में कर निर्धारण प्रक्रिया में निरीक्षकों की भूमिका लगभग समाप्त कर दी गई है।

१८०. वर्तमान में भूमि एवं भवन कर राज्य के उन शहरों पर लगाया जाता है जिनकी जनसंख्या एक लाख या इससे अधिक है। मैं इस सीमा को बढ़ाकर 1.50 लाख की आबादी तक के शहरों को इस कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। ऐसा करने से टोंक, पाली, ब्यावर व सीकर शहरों के निवासियों को इस टैक्स से छूट का लाभ मिलेगा । इस संदर्भ में मैं सदन में आवश्यक विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत करूंगा।

१८१. भूमि व भवनों की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए जिन भूमि व भवनों पर दायित्व 1 अप्रेल, 1995 व उसके पश्चात् बनता है उनके लिए भूमि एवं भवन कर मुक्ति की सीमा 2 लाख रूपये से बढ़ाकर 5 लाख रूपये किया जाना प्रस्तावित है। इस तिथि से पूर्व बने कर दायित्व पर छूट की सीमा 2 लाख रुपये ही बनी रहेगी।

१८२. समय पर भूमि व भवन कर जमा कराने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय वर्ष के प्रथम एवं द्वितीय तिमाही में देय राशि जमा कराने पर क्रमशः 5% एवं 3% की छूट दी जावेगी।

१८३. वर्तमान में पैतृक सम्पत्ति जिस पर टैक्स चुकाया जा चुका है, पर उत्तराधिकारी से भी टैक्स लिये जाने की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में यह प्रस्तावित है कि आवासीय मकान पर यदि टैक्स लगाया जाता है तो जब तक उस मकान पर अतिरिक्त निर्माण या उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पैतृक सम्पत्ति पर पुनः मूल्यांकन एवं कर निर्धारण नहीं किया जावेगा।

१८४. भूमि व भवन कर दायित्व प्रारम्भ होने से कर देने की तिथि तक बकाया राशि पर 1.5% प्रतिमाह की दर से ब्याज लिया जाना प्रस्तावित है।

मण्डी शुल्क

१८५. राजस्थान में गुलाब का उत्पादन करने वाले काश्तकारों को लाभान्वित करने के लिए तथा राज्य में ही गुलाब के इस्तेमाल से मूल्य वृद्धि किये गये उत्पादों के निर्माण को प्रेरित करने के लिए 1 अप्रेल, 1995 से गुलाब पर मण्डी शुल्क समाप्त किया जारहा है। पुष्कर व खमनौर के इलाकों के काश्तकारों को इससे विशेष रुप से लाभ मिलेगा।

लॉटरी

१८६. पिछले कुछ समय से देश में चल रही लॉटरियों के बारे में प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं। सरकार के ध्यान में भी इन लॉटरियों से उत्पन्न समस्याएँ आई हैं। मैंने केन्द्रीय वित्त मंत्री का इस मामले की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा है कि केन्द्र सरकार के स्तर पर राज्यों की बैठक बुलाई जाकर सभी राज्यों में लॉटरियों के सम्बन्ध में आम सहमति बनाई जावे। मैं यह समझता हूँ कि किसी एक या दो राज्यों के द्वारा लॉटरियों को बन्द कर देने मात्र से इस समस्या का हल संभव नहीं होगा। फिर भी जन साधारण की भावनाओं को देखते हुए मैं यह पहल कर रहा हूँ कि दिनांक 1 अप्रेल, 1995 से राज्य की सभी एक अंकीय लॉटरियों का चलन राजस्थान प्रदेश में बन्द कर दिया जाना प्रस्तावित है। यद्यपि इससे राज्य को भारी आर्थिक हानि होगी, लेकिन जनता की भावनाओं का आदर करते हुए मैं राजस्थान राज्य में शासन की सभी एक-अंकीय लाटरीज को बन्द कर रहा हूँ। अन्य राज्यों की एक अंकीय लॉटरियों पर 20% की दर से बिक्री कर देय होगा।

१८७. करों की दरों में विभिन्न रियायतें देने तथा एक अंकीय लॉटरियों को बन्द करने से लगभग 10 करोड़ रुपये की शुद्ध राजस्व हानि अनुमानित है। कतिपय मदों में बढ़ाई हुई कर दरों, बेहतर वसूली तथा करापवंचना की रोकथाम के माध्यम से इस घाटे की पूर्ति करने का प्रयास किया जायेगा।

१८८. चूँकि वर्ष 1995-96 का केन्द्र सरकार का बजट एवं दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें लोक सभा में विलम्ब से प्रस्तुत की गई हैं अतः राज्य सरकार ने भी केन्द्रीय करों के हिस्से एवं दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मिलने वाली राशि को राज्य सरकार के आय-व्ययक अनुमानों में समाहित करने की दृष्टि से बजट तदनुसार विलम्ब से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। वर्ष 1995-96 के बजट पर आम बहस एवं मांगों पर चर्चा करने के लिए सदन के पास चालू वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व पर्याप्त समय नहीं है। सदन पूरे वर्ष के लिए बजट अनुमानों व प्रस्तावों पर पूर्ण चर्चा कर पृथक से उनको पारित करेगा। फिलहाल मैं राज्य शासन के कार्य-कलापों को चलाने के लिये अगले वित्तीय वर्ष के खर्चों के लिए दो माह का लेखानुदान भी पारण करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

१८९. बजट मैन्युअल का एक नवीन संस्करण वित्त विभाग शीघ्र ही जारी कर रहा हैं। इस संस्करण में गत चार दशकों में बजट में तथा इसके बनाने सम्बन्धी प्रक्रिया में जो परिवर्तन हुए है उन्हें शामिल किया गया है। इस मैन्युअल से व्यय सम्बन्धी वित्तीय अनुशासन तथा संसाधन जुटाने के प्रयास और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। वर्ष 1995-96 का जो बजट दस्तावेजात जो मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ उनके प्रारूप प्राक्कलन समिति के निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटर पर तैयार किये गये हैं। इसमें और सुधार हेतु माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत है।

१९०. मेरा विश्वास है कि यह बजट एक नई सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था की रचना का माध्यम बनेगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति को, विशेषकर निर्धन वर्ग के लोगों को सुरक्षा प्राप्त होगी एवम् आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हमारा संकल्प है कि तीव्र गति से आर्थिक विकास की प्रक्रिया में राज्य एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हुए विकेन्द्रीकृत सत्ता की संस्थाओं की सहायता से गरीबी उन्मूलन तथा वृहद् सामाजिक कल्याण का एक सशक्त माध्यम बने। इन शब्दों के साथ वर्ष 1995-96 का बजट मैं सदन के विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

जयपुर
3/27
दिनांक

जय हिन्द !